वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

कर्मचारी चयन आयोग

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2021-2022

कर्मचारी चयन आयोग

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

प्र.प.	प्रवेश पत्र
प्र.सु.आ.	प्रशासनिक सुधार आयोग
स.उ.नि.	सहायक उप निरीक्षक
सहा.	सहायक
दो.बा.	दोनों बांह
ब.ले.	बजट एवं लेखा
ब.अ.	बजट अनुमान
नि.म.ले.प.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के.स.पु.ब.	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
क.आ. प.	कंप्यूटर आधारित पद्धति
सं.स्ना. स्त.	संयुक्त स्नातक स्तरीय
सं.उ.मा.स्त.प.	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा
कें.सू.आ.	केंद्रीय सूचना आयोग
के.औ.सु.ब.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
प.नि.	परीक्षा नियंत्रक
के.वे.आ.	केंद्रीय वेतन आयोग
के.लो.शि.नि. नि.प्र.	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
क.द.प.	कंप्यूटर दक्षता परीक्षा
म.क्षे.	मध्य क्षेत्र
के.स.लि.से.	केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा
के.स.आ.से.	केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा
के.स.आ.	केंद्रीय सतर्कता आयोग
प्र.सु.लो.शि.वि.	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग
डा.ए.ऑ.	डाटा एंट्री ऑपरेटर
डा.ए.कौ.प.	डाटा एंट्री कौशल परीक्षा
का.प्र.वि.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
वि.चि.प.	विस्तृत चिकित्सा परीक्षा
डा.प्रो.स.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक
वि.प्रो.स.	विभागीय प्रोन्नति समिति
द.स.	दस्तावेज सत्यापन
ईडीपी	इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग
पू.क्षे.	पूर्वी क्षेत्र
भू.पू.सै.	भूतपूर्व सैनिक
स्था.	स्थापना
आ.क.व.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
प्र.सू.रि.	प्रथम सूचना रिपोर्ट
सा.डयू.	सामान्य ड्यूटी
ह.मे.डि	हस्त मेटल डिटेक्टर
मु.	मुख्यालय
नि.अ.	निरीक्षणकर्ता अधिकारी
स.प्र.प्र.सं.	सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान

सू.प्रौ.	सूचना प्रौद्योगिकी
कनि. अभि.	कनिष्ठ अभियंता
कनि.अनु.अधि.	कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी
के.क.क्षे.	केरल कर्नाटक क्षेत्र
अ.श्रे.लि.	अवर श्रेणी लिपिक
वि.सू.प्र.वि.प्र.	विधिक सूचना प्रबंधन एवं विवरण प्रणाली
स.ज्ञा.	समझौता ज्ञापन
गृ.मं.	गृह मंत्रालय
म.प्र.क्षे.	मध्य प्रदेश क्षेत्र
म.टा.स्टा.	मल्टी टास्किंग स्टाफ
पूर्वो. क्षे.	पूर्वोत्तर क्षेत्र
रा.जा.ए.	राष्ट्रीय जांच एजेंसी
रा.सू.वि.के.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
उ.क्षे.	उत्तरी क्षेत्र
पश्चिमो. क्षे.	पश्चिमोत्तर क्षेत्र
अ.पि.व.	अन्य पिछड़ा वर्ग
रा.भा.	राजभाषा
का.ज्ञा.	कार्यालय ज्ञापन
ओएमआर	ऑप्टिकल मार्क्स रीडर
शा.क्ष.प.	शारीरिक क्षमता / दक्षता परीक्षण
शा.दि.	शारीरिक दिव्यांग
प्र.नि.स.	प्रधान निजी सचिव
नि.स.	निजी सचिव
शा.मा.प.	शारीरिक मानदंड परीक्षा
दि.ज.	दिव्यांगजन
नी. एवं यो.	नीति एवं योजना
प्र.बैं.	प्रश्न बैंक
अनु. एवं विश्ले.	अनुसंधान एवं विश्लेषण
क्षे. निदे.	क्षेत्रीय निदेशक
सं.अ.	संशोधित अनुमान
भ.मु.	भर्ती मुख्यालय
स.चि.प.	समीक्षा चिकित्सा परीक्षा
सू.अ.	सूचना का अधिकार
प्रा. एवं नि.	प्राप्ति एवं निर्गम
एस.बी.आई	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
अ.जा.	अनुसूचित जाति
अनु.अधि.	अनुभाग अधिकारी
द. क्षे.	दक्षिणी क्षेत्र
क.च.आ.	कर्मचारी चयन आयोग
स.सु.ब.	सचिवालय सुरक्षा बल
अ.ज.जा.	अनुसूचित जनजाति
वरि.अनु.अधि.	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
प्र.श्रे.लि.	प्रवर श्रेणी लिपिक

सं.लो.से.आ.	संघ लोक सेवा आयोग
अना.	अनारक्षित
सं.रा.क्षे.	संघ राज्य क्षेत्र
दृ.दि.	दृष्टि दिव्यांग
प.क्षे.	पश्चिमी क्षेत्र

विषय सूची

सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	मुख्य सार	5-7
I.	आयोग द्वारा उठाए गए कदम	8-15
II.	कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा	16-21
III.	वर्ष 2021-22 का सिंहावलोकन	22-29
IV.	वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित परीक्षाएं और किए गए चयन	30-39
V.	चयन पदों पर भर्ती	40-42
VI.	परीक्षा केन्द्र	43-49
VII.	अभ्यर्थियों का लिंग-वार प्रदर्शन	50-52
VIII.	अन्य महत्वपूर्ण कार्य-कलाप	53-55
IX.	सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	56-57

परिशिष्ट

क.	कर्मचारी चयन आयोग का गठन करने वाले संकल्प का मूलपाठ और संशोधन	59-80
ख.	आयोग के कार्यों के बारे में सरकारी निर्देश	81-82
ग.	कर्मचारी चयन आयोग का संगठनात्मक चार्ट, अध्यक्षों/ सदस्यों और वर्तमान क्षेत्रीय निदेशकों की सूची	83-86
घ.	विभिन्न पदों के नाम/वेतन-स्तर/संख्या	87-90
ङ.	क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय और उनके कार्य-क्षेत्र	91-93
च.	समूह 'ख' एवं 'ग' चयन पदों की भर्ती का ब्यौरा	94

मुख्य सार

1. कर्मचारी चयन आयोग, जिसे "आयोग" कहा गया है, भारत सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेन्सियों में से एक है। आयोग को उन पदों को छोड़कर, जो विशेषतः आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने का कार्य अधिदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग को वर्ष 2016 से भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के लिए सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी के समूह 'ख'(राजपत्रित) पदों की भर्ती करने का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया है । इसके अतिरिक्त कर्मचारी चयन आयोग को वर्ष 2021 में संवैधानिक / सांविधिक निकायों और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' पदों की रिक्तियों हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित करने का दायित्व भी सौंपा गया है।

2. कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग का प्रयागराज, बेंगलूरु, चेन्नै, गुवाहाटी, कोलकाता, मुम्बई एवं नई दिल्ली में स्थित सात क्षेत्रीय कार्यालयों और चंडीगढ़ तथा रायपुर में स्थित दो उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी चयन आयोग की नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करते हैं जिसमें संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की सहायता से देश भर में विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षाएं आयोजित कराना शामिल है।

3. (क) आयोग 7 अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है; अर्थात

i) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा;

ii) संयुक्त उच्चतर माध्यमिक(10+2) स्तरीय परीक्षा;

iii) कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रा सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा;

iv) दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक

v) कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक परीक्षा;

vi) आशुलिपिक ग्रेड 'सी' एवं 'डी' परीक्षा, और

vii) मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा।

(ख) इसके अतिरिक्त, आयोग निम्नलिखित पदोन्नति के लिए तीन सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है :

i) कनिष्ठ सचिवालय सहायक / अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा

ii) वरिष्ठ सचिवालय सहायक / प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा

iii) आशुलिपिक ग्रेड 'ग' सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा।

(ग) आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) चयन पदों, जो कि एकाकी पद हैं (अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं) के लिए भी भर्ती परीक्षा का

आयोजन करता है। इन पदों को पहले केवल साक्षात्कारों के माध्यम से भरा जाता था। चूंकि दिनांक 01.01.2016 से भारत सरकार द्वारा निम्न स्तर के पदों के लिए साक्षात्कारों को समाप्त कर दिया गया है, इन पदों को अब कंप्यूटर आधारित पद्धति (क.आ.प.) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्नों के प्रारूप में आयोजित लिखित परीक्षाओं के माध्यम से भरा जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयोग भारत सरकार के विशिष्ट निदेशों के अनुपालन में गैर अधिदेशित परीक्षाएं भी आयोजित करता है।

(ङ) आयोग सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके स्थायीकरण/ वेतन वृद्धि निर्मुक्त करने अथवा किसी अन्य विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन से वार्षिक टंकण/आशुलिपिक परीक्षा का आयोजन करता है।

4. परीक्षाओं के निर्बाध आयोजन तथा योग्यता आधारित चयन के उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा जहां भी आवश्यक हो, परीक्षा कार्यविधियों और पद्धतियों की निरन्तर समीक्षाएं की जाती हैं। परीक्षा प्रक्रिया में अधिकतम कार्य-कुशलता और विश्वसनीयता लाने के लिए नए कदम भी उठाए गए हैं। हाल के वर्षों में अर्थात् जून, 2016 से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहु विकल्पीय परीक्षाओं के आयोजन के लिए ओ.एम.आर. आधारित परीक्षा पद्धति के स्थान पर कम्प्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति को तेजी और व्यापक रूप से आरम्भ करना है। चयन पदों के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं को भी जिन्हें पहले साक्षात्कारों के माध्यम से भरा जाता था, अब इन परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित पद्धति में आयोजित किया जाता है।

5. परीक्षा से जुड़े मुख्य कार्यकलापों जैसे आवेदनों की प्राप्ति, प्रवेश पत्रों को जारी करना और परिणामों की घोषणा को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा, आयोग द्वारा रिक्तियों का ऑनलाइन संग्रहण भी अनिवार्य कर दिया गया है। आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2021 से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए एक विंडो देना भी शुरू कर दिया है ताकि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को ठीक / संशोधित कर सकें।

6. आयोग द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान बारह अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं को (चरणों में) आयोजित किया गया। विभिन्न परीक्षाओं के अलग-अलग चरणों के लिए कुल 1,98,58,482 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया/ अर्हता प्राप्त की। इसमें अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1,86,87,654 अभ्यर्थी तथा चयन पद परीक्षाओं के लिए 11,70,828 अभ्यर्थी शामिल हैं।

7. वर्ष 2021 -22 के दौरान, आयोग ने देश भर में 143 परीक्षा केन्द्रों (अर्थात शहरों) में स्थित 341 परीक्षा स्थलों में 71,74,579 अभ्यर्थियों के लिए अपनी सबसे बड़ी परीक्षा अर्थात के.स.पु.ब. में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफल मैन (सामान्य ड्यूटी) परीक्षा 2021 आयोजित की।

8. वर्ष 2021-22 के दौरान आयोग द्वारा अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 28,081 अभ्यर्थियों की तथा चयन पदों के लिए 1092अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई।

9. आयोग द्वारा अपनी परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के ठोस प्रयास किए गए। वर्ष के दौरान 1,88,32,065 अभ्यर्थियों, जिन्होंने आयोग के विभिन्न अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पंजीकृत किया था, में से 53,34,510 महिला अभ्यर्थी थीं। प्रतिशतता की दृष्टि से महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी 28.33%. प्रतिशत थी।

10. आयोग प्रयोक्ता विभागों द्वारा सूचित की गई अ.जा. /अ.ज.जा./ अ.पि.व./आ.क.व. अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को पूरी तरह से भरने का प्रयास करता है। वर्ष के दौरान अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से 4,456 अ.जा. अभ्यर्थी, 2,053 अ.ज.जा. अभ्यर्थी, 9,256 अ.पि.व. अभ्यर्थी और 1,987 आ.क.व. अभ्यर्थी, कुल मिलाकर 17,752 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए थे। इसी प्रकार 1092 चयन पदों के लिए 121 अ.जा. अभ्यर्थी, 65 अ.ज.जा. अभ्यर्थी और 255 अ.पि.व. अभ्यर्थी अर्थात कुल मिलाकर 441अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु संस्तुत किए गए ।

11. आयोग दिव्यांग अभ्यर्थियों (शा.दि.) को परीक्षा स्थल पर सरल, सुरक्षित और परेशानी मुक्त पहुंच उपलब्ध कराने के सघन प्रयास करता है। आयोग पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक, अनुच्छेद वाचक और प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय मुहैया कराने की सुविधा भी देता है। इसके अलावा, दिव्यांगजनों (दृ. दि.) अभ्यर्थियों को आकृतियों और आरेखों वाले प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से 638 शा.दि. अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए। इसी प्रकार 23 अभ्यर्थियों को चयन पदों के लिए संस्तुत किया गया ।

12. राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों का कार्यान्वयन, आयोग का एक सतत प्राथमिकता क्षेत्र रहा है। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए।

अध्याय-I

आयोग द्वारा उठाए गए कदम

1.1 आयोग की कार्यात्मक दक्षता में वृद्धि लाने और योग्यता आधारित चयन को सुगम बनाने के लिए, आयोग द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं -

क. आवेदनों की प्राप्ति, रिक्ति संग्रहण, परिणामों की घोषणा तथा संबंधित गतिविधियों के लिए ऑनलाइन प्रणाली।

1.2 पूर्ण डिजिटलीकरण को प्राप्त करने के लिए एक पहल के रूप में, आयोग द्वारा वर्ष 2010 से, चरणबद्ध रूप में ऑनलाइन आवेदन प्रणाली प्रारंभ की गई। इस समय आयोग अपनी सभी परीक्षाओं के लिए आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त करता है ।

1.3 आयोग विभिन्न परीक्षाओं की विज्ञप्तियों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है । आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2021 से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए एक विंडों देना भी शुरू कर दिया है ताकि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को ठीक / संशोधित कर सकें । आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडों के दौरान, अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदनपत्र में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के पश्चात आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाती है।

1.4 भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से रिक्तियों का ऑनलाइन संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है ।

1.5 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्रों को आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर अपलोड किया जाता है।

1.6 इसी तरह, कंप्यूटर आधारित पद्धति में लिखित परीक्षा के आयोजन के बाद अनंतिम उत्तर कुंजियों के बारे में आपत्तियां ऑनलाइन आमंत्रित की जाती हैं।इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजियों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

1.7 मध्यवर्ती स्तरों/चरणों के परिणामों सहित सभी परीक्षाओं के परिणामों को आयोग की वेबसाइट पर घोषित किया जाता है । इसके अतिरिक्त, दस्तावेज सत्यापन और कौशल परीक्षा से संबंधित सूचनाओं को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

1.8 अभ्यर्थियों के जवाब, अंतिम उत्तर कुंजियाँ और अभ्यर्थियों के कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्राप्तांक भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। अभ्यर्थी अपने उत्तर पत्रों और अंको को अपने विशिष्ट प्रत्यायक की सहायता से लॉग इन करके भी व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं।

1.9 आयोग की विभिन्न परीक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए ऑनलाइन रीति को व्यापक रूप से अपनाने के कारण परीक्षा प्रक्रिया में प्रणालीगत सुधार आए हैं,जिससे परीक्षाओं के आयोजन में, लगन एवं दक्षता के उच्च स्तर प्राप्त हुए हैं।

1.10 इसके अतिरिक्त, कम समय में आवश्यक होने पर अभ्यर्थियों के साथ ई-मेल/एस.एम.एस इत्यादि के माध्यम से भी सम्प्रेषण किया जाता है।

ख. परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति की शुरुआत

1.11 मई, 2016 तक, आयोग की सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षाएं ऑप्टिकल मॉर्क्स रीडर (ओ.एम.आर.) आधारित पद्धति में आयोजित की जाती थी। तत्पश्चात जून, 2016 में, एक बड़ी पहल के रूप में सरकार से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करके, आयोग ने अपनी वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति (सीबीएम) को आरम्भ किया। आयोग द्वारा जून, 2016 में कम्प्यूटर आधारित पद्धति(सी.बी.एम.) में आयोजित पहली परीक्षा दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक तथा के.औ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक पुन:परीक्षा, 2016 थी। इसके पश्चात, आयोग द्वारा कम्प्यूटर आधारित पद्धति में तेजी से और व्यापक परिवर्तन किए गए, जिसके द्वारा आयोग की सभी मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहु-विकल्पीय परीक्षाएं अब कम्प्यूटर आधारित पद्धति में आयोजित की जा रही हैं।

1.12 वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित 05 परीक्षाएं अधिसूचित की गई और अभ्यर्थियों/ आवेदकों से प्राप्त आवेदनों का ब्योरा नीचे दिया गया है :-

सारणी - 1.1

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1.	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा , 2021	**21,59,723**
2.	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक(10+2) स्तरीय परीक्षा, 2021	**38,55,152**
3.	मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा-2021	**39,33,120**
4.	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (के.स.पु.ब.), राष्ट्रीय जांच एजेंसी और सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफल मैन (सामान्य ड्यूटी) परीक्षा, 2021	**71,74,580**
5.	चयन पद परीक्षा (चरण- IX), 2021	**17,09,490**
	कुल	**1,88,32,065**

1.13 कम्प्यूटर आधारित पद्धति में परीक्षाओं का आयोजन करने के कार्यनीतिक लाभ हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ- साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

i) परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति अधिक उपयोगी है तथा इसमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध होने के कारण यह तरीका अधिक विश्वसनीय, सक्षम और सुदृढ़ है।

ii) मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम होता है, जिससे परीक्षा में नकल होने की सम्भावनाएं कम हो जाती हैं।

iii) प्रश्न पत्र प्रबंधन और संचालन में बृहत्तर लचीलापन और उच्चतर गोपनीयता होती है।

iv) इसमें परिणामों में और अधिक परिशुद्धता होती है तथा इन्हें तेजी से तैयार किया जाता है।

v) यह तरीका रिपोर्टों को तैयार करने में बेहतर डाटा प्रबंधन और विश्लेषण करने में भी सहायता प्रदान करता है।

1.14 आयोग ने परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अभ्यर्थियों, विशेषतः सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान करने के भी अनेक उपाय किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

i) ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रारूप / कार्य पद्धति का सरलीकरण।

ii) परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति के आयोजन में शामिल प्रमुख प्रक्रियाओं के बारे में अभ्यर्थियों को विस्तार पूर्वक शिक्षित करने के लिए आयोग तथा उसके क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर 'एनिमेटिड वॉक थ्रू मॉड्यूल' को उपलब्ध कराना।

iii) डाक द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्रों (एसी) के प्राप्त न होने के बारे में अभ्यर्थियों, विशेषतः सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अभ्यर्थियों के मामले में किसी प्रकार की शिकायतों से बचने के लिए, अभ्यर्थियों के लाभ हेतु परीक्षाओं के प्रवेश प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन अपलोड करना क्योंकि डाक द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्रों (एसी) को पहुंचाने में बहुत अधिक समय लग जाता है।

iv) महानगरों/राजधानियों के अलावा अन्य शहरों/नगरों/स्थानों स्थित परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा का आयोजन करना ताकि स्थानीय अभ्यर्थियों को इन परीक्षा स्थलों/केन्द्रों तक पहुँचने में कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े।

v) परीक्षा केन्द्रों का आबंटन करते समय, आयोग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है कि महिला तथा शारीरिक दिव्यांग (शा.दि..) अभ्यर्थियों को कम से कम असुविधा हो।

ग. एक बारगी पंजीकरण

1.15 हाल ही के दिनों में अभ्यर्थियों के एक-बारगी पंजीकरण का प्रारंभ, आयोग द्वारा उठाया गया एक मुख्य कदम है। इस व्यवस्था के अधीन अभ्यर्थियों को केवल एक बार आयोग की वेबसाइट पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें "यूजर आई डी" और "पासवर्ड" जारी किए जाते हैं,

जिसका वे आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में उपयोग करते हैं। एक-बारगी पंजीकरण से अभ्यर्थियों का स्थायी डाटा बेस सृजित हो जाता है, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा नए आवेदनों को भरते समय मूल सूचना स्वतः प्रदर्शित हो जाती है। अभ्यर्थी समय-समय पर अपने प्रोफाइल को अद्यतन करने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इस व्यवस्था के कुछ विशिष्ट लाभ हैं। यह अभ्यर्थियों को एक अनन्य पहचान मुहैया कराती है और अनेक पंजीकरण संख्याएं सृजित होने से रोकती है और वारित अभ्यर्थियों को आवेदन करने से रोकती है।

1.16 अनिवार्य एक-बारगी पंजीकरण करते समय सभी अभ्यर्थियों की ई-मेल तथा दूरभाष संख्या को पंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक परिस्थितियों में, परीक्षाओं से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं को ई-मेल और एस एम एस के माध्यम से अभ्यर्थियों की पंजीकृत ई-मेल आईडी / मोबाईल नम्बरों पर इसे सम्प्रेषित किया जाता है।

घ. डिजिटल फिंगर-प्रिंट संग्रहण

1.17 आयोग कंप्यूटर आधारित पद्धति के दौरान परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के फिंगर-प्रिंट भी लेता है। इस प्रकार लिए गए फिंगर-प्रिंट से आयोग को छद्मवेषण के मामले, यदि कोई हैं, की पहचान करने में सहायता मिलती है। इस फिंगर-प्रिंट डाटा बेस को नियुक्ति के समय अभ्यर्थियों के सत्यापन को सुविधाजनक बनाने हेतु, आयोग द्वारा प्रयोक्ता विभागों के साथ उनके अनुरोध पर साझा किया जा सकता है।

ङ. आवेदन के साथ दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने से छुटकारा

1.18 ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को किसी भी दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों से दस्तावेजों की स्व:प्रमाणित प्रतियां संग्रहित की जाती हैं।

1.19 चयन पदों के मामले में, आयोग के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद संवीक्षा के समय दस्तावेजों को संग्रहित तथा वास्तविक रूप से सत्यापित किया जाता है।

च. आशुलिपि परीक्षा के लिए वायस रिकार्डेड श्रुतलेखन

1.20 आशुलिपिक ग्रेड 'सी' एवं 'डी' परीक्षा के लिए कौशल परीक्षाओं के क्रियान्वयन में एकरूपता लाने हेतु एक पहल के रूप में, आयोग ने ऑडियो रिकार्ड किए गए अनुच्छेद का प्रयोग करना शुरू किया है। कौशल परीक्षाओं के लिए श्रुतलेखन अनुच्छेदों को अत्याधुनिक ऑडियो प्रयोगशालाओं में रिकॉर्ड किया जाता है। आयोग द्वारा की गई इस पहल से कौशल परीक्षाओं के आयोजन में गुणवत्तात्मक सुधार हुआ है।

छ. दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं

1.21 आयोग, दृष्टि दिव्यांग, गति विषय दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात(सी पी) मानदण्ड दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन आवेदन के समय मांगने पर, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/ परीक्षा की कंप्यूटर आधारित पद्धति के लिए प्रलिपिक की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, शेष मानदण्ड दिव्यांगता श्रेणियों के लिए (जैसा कि डीओपीटी पत्र सं.36035/02/2017-स्था.(रेस) दिनांक 15 जनवरी, 2018 में विहित), अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाईन आवेदन के समय मांगने पर, सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ असैन्य शल्यचिकित्सक/ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोफॉर्मा में जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र जिसमें ऐसी शारीरिक कमी और उनके तरफ से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक की जरूरत का उल्लेख किया गया हो, परीक्षा के समय प्रस्तुत करने पर ऐसे अभ्यर्थियों को प्रतिघंटा 20 मिनट के अतिरिक्त समय की सुविधा भी प्रदान करता है। दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के दौरान पाठ वाचक की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

1. 22 आयोग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि शारीरिक दिव्यांग(दृष्टि दिव्यांग) अभ्यर्थियों को संख्यात्मक अभिरूचि और सामान्य बुद्धिमत्ता के प्रश्नों के पृथक सेट दिए गए हैं, जिसमें मानचित्र, ग्राफ, सांख्यिकीय डाटा, आरेख इत्यादि के घटक नहीं हैं।

1.23 आयोग दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर सरल, सुरक्षित और परेशानी मुक्त पहुंच उपलब्ध कराने के सघन प्रयास करता है। इसे सुनिश्चित करने हेतु, दिव्यांगजनों को ऐसे परीक्षा केन्द्र आबंटित किए जाते हैं जहां एलिवेटर/लिफ्ट और रैंप आदि जैसी प्रयोक्ता अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सहायता लेते हैं, उन्हें अलग तारीख पर विशिष्ट परीक्षा स्थल मुहैया कराया जाता है।

ज. बायोमीट्रिक पंजीकरण

1.24 आयोग की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रभावी जांच करने के लिए बायोमीट्रिक पंजीकरण प्रणाली शुरू की गयी है, जो परीक्षा के आरंभ होने से तत्काल पूर्व अभ्यर्थियों के फिंगर-प्रिंट और फोटो लेती है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था बायोमीट्रिक पंजीकरण के आधार पर यादृच्छिक रूप से की जाती है। बायोमीट्रिक पंजीकरण के चरण में लिया गया डाटा तदनंतर परीक्षा के विभिन्न स्तरों में बैठने वाले अभ्यर्थियों की पहचान को सत्यापित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

1.25 कदाचार पर अंकुश लगाने और प्रतिरूपण की घटनाओं को कम करने के लिए आयोग ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंत में अभ्यर्थियों के निकास सत्यापन को शुरू किया है, जिसका आरंभ दिनांक 11.10.2021 से एमटीएस परीक्षा (टियर-I), 2020 से किया है। यह प्रक्रिया परीक्षा शुरू होने से पहले

अभ्यर्थियों द्वारा किए गए बायोमीट्रिक पंजीकरण के समान है, जब अभ्यर्थियों को लैब छोड़ने कह अनुमति देने से पहले उनका बायोमीट्रीक डाटा (फोटा और बांए अंगूठे का निशान आदि) लिया जाता है। निकासी सत्यापन के दौरान, परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों के लैब छोड़ने से पहले उनका बायोमीट्रिक डाटा पुन: लिया जाता है।

झ. सी सी टी वी कैमरा कवरेज

1.26 परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों पर नजर रखने के लिए , कंप्यूटर आधारित पद्धति में परीक्षा के आयोजन से संबंधित समस्त कार्य-कलापों को सी.सी.टी.वी. निगरानी के अधीन गहनता से मॉनीटर किया जाता है। आयोग मुख्यालय तथा आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में संवेदनशील परीक्षा सामग्री के रख-रखाव की निगरानी करने के लिए भी सी सी टी वी कैमरे लगाए गए हैं।

ञ. परिणामों को तैयार करने में पारदर्शिता

1.27 परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता की आयोग की नीति को ध्यान में रखते हुए, सभी परीक्षाओं की अनंतिम उत्तर कुंजियों को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की कार्यप्रणाली वर्ष – 2021-22 के दौरान भी जारी रही, जिससे अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र/ अनंतिम उत्तर कुंजियों में विसंगतियॉं, यदि कोई हैं, के विरुद्ध अभ्यावेदन/आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता है। आपत्तियां प्राप्त होने के बाद, अंतिम उत्तर कुंजियों को तैयार करने से पूर्व आयोग द्वारा विशेषज्ञों के पैनल के माध्यम से यथोचित सावधानी बरती जाती है। इसके पश्चात अंतिम उत्तर कुंजियों के आधार पर परिणाम की घोषणा की जाती है। इन अंतिम उत्तर कुंजियों को आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है, जिससे अभ्यर्थी परीक्षाओं में अपने कार्य-निष्पादन का आकलन करने में समर्थ हो पाते हैं। आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को भी अभ्यर्थियों के सूचनार्थ वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

ट. क्षेत्रीय निदेशकों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग

1.28 आयोग ने क्षेत्रीय निदेशकों के साथ प्रभावी यथार्थ वार्तालाप हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधा आरंभ की है। इस व्यवस्था से क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों और आयोग मुख्यालय में सूचना के उपयोगी और सार्थक आदान-प्रदान करने में योगदान मिला है। इससे आयोग में निर्णय लेने की प्रक्रिया कारगर और गतिशील भी बनी है।

ठ. मुख्य पहलें

1.29 कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय में विश्वसनीय और तात्कालिक अखिल भारतीय दूरस्थ निगरानी प्रणाली युक्त अत्याधुनिक सू.प्रौ. अवसंरचना के साथ आधुनिकतम 'कमांड सेंटर' स्थापित किया गया है।

1.30 कार्यालय ज्ञापन संख्या 39028/02/2016- स्थापना (ख), दिनांक 20 अप्रैल, 2020 के तहत जारी भारत सरकार (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के निदेशानुसार आयोग ने अपनी परीक्षाओं में लिंग की एक अलग श्रेणी के रूप में 'ट्रांसजेंडर' को शामिल करने हेतु आवेदन-पत्रों में आवश्यक संशोधन किया है, ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का अनुपालन किया हो सके।

1.31 आयोग ने कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा, 2019 से अपने कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्थलों पर कम शक्ति वाले रूम जैमर की तैनाती शुरू कर दी है, ताकि प्रयोगशालाओं के अंदर मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन, ब्लूटूथ उपकरणों और वाई-फाई उपकरणों के उपयोग जैसे तकनीकी उपकरणों के माध्यम से परीक्षा संबंधी कदाचार से बचा जा सके।

1.32 कोविड-19 महामारी की पहली लहर के बाद, आयोग ने अपनी परीक्षाओं के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया है। कोविड-19 से बचाव हेतु उपयुक्त व्यवहार बनाए रखने के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है, जैसे - भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी, अतिरिक्त सफाई कर्मचारी, अनिवार्य फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और थर्मो-गन की व्यवस्था, बुखार जैसे लक्षणों वाले अभ्यर्थियों के लिए आइसोलेशन लैब में जांच का प्रावधान आदि।

1.33 आयोग ने परीक्षा चक्र को कम करने के अपने प्रयास में, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई), 2019 से आरंभ करते हुए टियर- II के तुरंत बाद टियर- III परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इससे आयोग सं.स्ना.स्त.परी. के संपूर्ण परीक्षा चक्र में कम से कम 3-4 महीने का समय बचाने में सक्षम हुआ है।

1.34 आयोग ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा, 2018 से अखिल भारतीय आधार पर कौशल परीक्षा आयोजित करना शुरू कर दिया है। पहले की पद्धति में कौशल परीक्षा क्षेत्र-वार आयोजित की जाती थी और कौशल परीक्षा चक्र में 4-5 महीने का समय लग जाता था । अब परिणाम तक की पूरी प्रक्रिया में लगभग 2-3 महीने ही लगते हैं।

1.35 आयोग ने प्रतिरूपण मामलों की जांच करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपलोड की गई फोटो के साथ परीक्षा के विभिन्न चरणों में ली गई फोटो के सत्यापन की एक बड़ी पहल भी शुरू की है। इसके अलावा, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में अपनी हाल ही की फोटो (03 महीने से अधिक पुरानी नहीं) अपलोड करने के लिए भी कहा जाता है। आवेदन प्रारूप में उपयुक्त संशोधन भी किए गए हैं।

M- राजस्थान सरकार द्वारा गठित समिति का दौरा

1.36 राजस्थान सरकार की 3 सदस्यीय समिति ने आयोग द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को समझने के लिए 11 मार्च, 2022 को कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय का दौरा किया। समिति ने सार्वजनिक भर्ती से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आयोग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। समिति ने

कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के संचालन और निगरानी, परीक्षा केंद्रों/स्थलों में उपलब्ध व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की और कमांड सेंटर के संचालन को भी देखा।

अध्याय-II
कर्मचारी चयन आयोग के कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

क. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.1 संविधान के अनुच्छेद 320 में केन्द्र सरकार के सभी पदों एवं सेवाओं पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का संचालन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कराए जाने का प्रावधान किया गया है। संसद की प्राक्कलन समिति ने अपनी 47वीं रिपोर्ट (1967-68) में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही निम्नतर श्रेणी के पदों की भर्ती हेतु परीक्षाएं कराने के लिए सेवा चयन आयोग गठित किए जाने की सिफारिश की। इसके अनुसरण तथा अंतरिम उपाय के रूप में भारत सरकार के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान के साथ एक परीक्षा स्कंध जोड़ा गया।

2.2 प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (प्र.सु.आ.) ने भी कार्मिक प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि केन्द्र और राज्यों में अधिकतर सरकारी स्टाफ की संख्या श्रेणी-III और श्रेणी- IV से संबंधित है। विभिन्न कार्यालयों में ऐसे पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताओं की एकरूपता का उल्लेख करते हुए प्र.सु. आयोग ने विभिन्न विभागों द्वारा गैर तकनीकी पदों की अपेक्षाओं हेतु पूल बनाए जाने और कार्मिकों का चयन संयुक्त भर्ती या बोर्ड के माध्यम से कराए जाने की वकालत की। इस सिफारिश पर भलीभांति विचार करने के पश्चात, भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 4 नवम्बर, 1975 की संकल्प संख्या 46/1/(एस)/74-स्था.(बी) **(परिशिष्ट-क)** के तहत अधीनस्थ सेवा आयोग गठित करने का निर्णय किया।

2.3 भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह 'ग') के गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग को बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग (क.च.आ.) के रूप में पुनः गठित किया गया। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है। मई, 1999 से इस आयोग को समूह 'ख' के ऐसे सभी पदों की भर्ती का कामकाज भी सौंपा गया, जिनका अधिकतम वेतनमान 10,500 रु. (सातवें वेतन आयोग के अनुसार अब स्तर-7) से कम था। इन समूह 'ख' पदों की भर्ती पहले संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती थी। सितंबर, 2005 से भारत सरकार ने आयोग को ऐसे सभी अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए भी प्राधिकृत कर दिया गया जिनके वेतनमान 6500-10500 रुपए (सातवें वेतन आयोग के अनुसार अब स्तर-7) हैं।

2.4 दिनांक 21 मई, 1999 के संकल्प सं.39018/1/98-स्था.(ख) और इसके आनुक्रमिक संशोधन दिनांक 13 नवंबर, 2003, 29 सितंबर. 2005, 14 जनवरी, 2011, 24 जुलाई,2012 और 17 फरवरी,2016 के संकल्प सं.24012/8-क/2003-स्था. (ख) के तहत परिभाषित कर्मचारी चयन आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं :-

i. भारत सरकार और उनके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, सिवाय उन पदों के जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हैं, 4800/- रु. (सातवें वेतन आयोग के अनुसार अब स्तर-8) तक के ग्रेड वेतन वाले वेतन बैंड-2 और वेतन बैंड-1 में समूह ख (अराजपत्रित) पदों और समूह ग (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करना।

ii. 4800/-रु. (सातवें वेतन आयोग के अनुसार अब स्तर-8) तक ग्रेड वेतन वाले वेतन बैंड-2 और वेतन बैंड-1 में साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत उन पदों पर भर्ती करना, जिन पर आयोग के विवेकाधिकार से शार्टलिस्टिंग या कौशल परीक्षा पहले आयोजित की जा सकती है।

iii. केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा(सी.एस.सी.एस.) / केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा (सी.एस.एस.एस.) तथा इस प्रकार की अन्य सेवाओं की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना, जो आयोग को सौंपे गए हैं अथवा आयोग को सौंपे जा सकते हैं।

iv. अंग्रेजी/हिन्दी में कौशल परीक्षाओं का आवधिक आयोजन करना तथा इस प्रकार की अन्य कौशल परीक्षाओं का आयोजन करना जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।

v. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लिए सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के समूह 'ख' (राजपत्रित) पदों की भर्ती करना।

vi. संवैधानिक / सांविधिक निकायों और संघ राज्य क्षेत्र लदाख में समूह ‘ख’ (अराजपत्रित) और समूह ‘ग’ पदों के लिए भर्ती करना।

vii. केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए इस प्रकार के अन्य कार्य करना।

2.5 कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेन्सियों में से एक है। उन पदों को छोड़कर, जो विशेषतः आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, आयोग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने का कार्य अधिदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग को वर्ष 2016 में भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के लिए सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी के समूह 'ख'(राजपत्रित) पदों की भर्ती करने का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त कर्मचारी चयन आयोग को वर्ष 2021 में संवैधानिक / सांविधिक निकायों और लदाख संघ राज्य क्षेत्र में समूह ‘ख’ (अराजपत्रित) और समूह ‘ग’ पदों की रिक्तियों हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित करने का दायित्व भी सौंपा गया है।

2.6 आयोग को सात अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का अधिदेश दिया गया है, अर्थात्

i) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा,
ii) संयुक्त उच्चतर माध्यमिक(10+2) स्तरीय परीक्षा,
iii) कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत और मात्रा सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा,
iv) दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक परीक्षा ,
v) कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा;
(vi) आशुलिपिक ग्रेड 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, और

(vii) मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा

2.7 इसके अतिरिक्त, आयोग निम्नलिखित पदों से प्रोन्नति हेतु तीन सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित करता है:

(i) कनिष्ठ सचिवालय सहायक / अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा

(ii) वरिष्ठ सचिवालय सहायक / प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा और

(iii) आशुलिपिक ग्रेड 'ग' सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा

2.8 आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) चयन पदों, जो कि एकाकी पद हैं (खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं) के लिए भी भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है। इन पदों को पहले केवल साक्षात्कारों के माध्यम से भरा जाता था। चूंकि दिनांक 01.01.2016 से भारत सरकार द्वारा निम्न स्तर के पदों के लिए साक्षात्कारों को समाप्त कर दिया गया है अतः उक्त पदों को अब कंप्यूटर आधारित पद्धति में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्नों के प्रारूप में आयोजित लिखित परीक्षाओं के माध्यम से भरा जा रहा है।

2.9 उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयोग भारत सरकार के विशिष्ट निदेशों के अनुपालन में समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के आधार पर गैर अधिदेशित परीक्षाएं भी आयोजित करता है।

2.10 वार्षिक कौशल परीक्षाएं

आयोग सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके स्थायीकरण/ वेतन वृद्धि को जारी करने अथवा किसी अन्य विशेष आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन से वार्षिक कौशल परीक्षा का आयोजन करता है । अवर श्रेणी लिपिक (एल डी सी) के पद पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के अंतर्गत नहीं आते हैं, चाहे उनकी नियुक्ति पदोन्नति अथवा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अथवा अनुकम्पा आधार सहित किसी अन्य तरीके से अथवा तदर्थ आधार पर हुई हो, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नवीनतम दिशा-निर्देशों/आदेशों के अनुसार टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है।

आयोग भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों (साधारण ग्रेड) को अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान करने के लिए प्रवीणता परीक्षाओं और दक्षता बोनस योजना के अधीन टंकण परीक्षाओं का आयोजन भी करता है।

ख. कर्मचारी चयन आयोग का संगठनात्मक ढांचा

2.11 कर्मचारी चयन आयोग के प्रमुख, अध्यक्ष हैं, जिनका रैंक और दर्जा भारत सरकार में सचिव / अपर सचिव का है और उन्हें दो सदस्यों, जिनका रैंक और दर्जा भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर का है, द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। आयोग का कार्य एक सचिवालय द्वारा होगा जिसके प्रमुख सचिव होंगे जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर अन्य सहायक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ

परीक्षा नियंत्रक भी होंगे। दिनांक 31.03.2022 को आयोग की स्वीकृत स्टाफ संख्या नई दिल्ली स्थित मुख्यालय एवं क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय कार्यालयों सहित कुल मिलाकर 541थी। कुल स्वीकृत संख्या में से 248 पद (45.84%) आयोग मुख्यालय में स्थित हैं।

2.12 आयोग के 07 क्षेत्रीय और 02 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में संस्वीकृत पदों का वितरण नीचे सारणी 2.1 में दिया गया है।

सारणी - 2.1

क्षेत्रीय कार्यालय		
क्रम सं.	**क्षेत्र**	**संस्वीकृत पद**
1	मध्य क्षेत्र	42
2	पूर्वी क्षेत्र	40
3	कर्नाटक और केरल क्षेत्र	27
4	उत्तरी क्षेत्र	46
5	पूर्वोत्तर क्षेत्र	25
6	दक्षिणी क्षेत्र	36
7	पश्चिमी क्षेत्र	38
उप-क्षेत्रीय कार्यालय		
8	मध्य प्रदेश क्षेत्र	19
9	पश्चिमोत्तर क्षेत्र	20
	कुल	**293**

2.13 आयोग का संगठनात्मक ढांचा **परिशिष्ट-ग** में दिया गया है।

2.14 पदों एवं उनका वेतनमान संबंधी ब्योरा और मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टॉफ की संख्या का ब्यौरा **परिशिष्ट-घ** में है।

ग. क्षेत्रीय नेटवर्क

2.15 कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय ब्लॉक-12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के 07 क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज, बेंगलुरू, चेन्नै, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और 02 उप-क्षेत्रीय कार्यालय चंड़ीगढ़ और रायपुर में स्थित हैं।

2.16 इस नेटवर्क से आयोग और राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित होता है। आयोग क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय नेटवर्क के जरिए अपनी परीक्षाओं के आयोजन में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम होता है। क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय अभ्यर्थियों को उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए स्थानीय संपर्क केन्द्र प्रदान करने का कार्य भी करते हैं।

2.17 आयोग के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य रूप से अपनी सभी परीक्षाओं अर्थात् सात (07) अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी अधिदेशित परीक्षाओं, तीन (03) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं, चयन पदों के लिए परीक्षाओं और इन परीक्षाओं से संबद्ध कौशल परीक्षाओं के निर्बाध एवं कुशल आयोजन करने व दस्तावेज सत्यापन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय नेटवर्क, भारत सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट की गई गैर-अधिदेशित परीक्षाओं के आयोजन में भी उसे सहायता प्रदान करता है।

2.18 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय परीक्षाओं के आयोजन में अन्तर्विष्ट विभिन्न अन्य कार्यकलापों को भी निष्पादित करते हैं, जैसे - आवेदनों का इलेक्ट्रॉनिक डाटा तैयार करना, आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्रों (ए सी) को अपलोड करना, जिला प्राधिकारियों / सेवा प्रदाताओं से विचार-विमर्श करके अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षा स्थलों को बुक करना / अंतिम रूप प्रदान करना, केन्द्र पर्यवेक्षकों को गैर-गोपनीय परीक्षा सामग्री भेजना और विभिन्न परीक्षा स्थलों में निरीक्षकों और निरीक्षण अधिकारियों को नियुक्त करना। वे विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा / शारीरिक मापदंड परीक्षा (पीईटी/पीएसटी) और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) एवं समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) के आयोजन से भी संबद्ध हैं।

2.19 आयोग मुख्यालय द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के उपरांत क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित करना होता है, उन्हें संस्तुत अभ्यर्थियों के डोजियर तैयार करने होते हैं और उन्हें प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों को नियुक्ति के लिए भेजना होता है।

2.20 आयोग की परीक्षाओं के आयोजन की मूल रूप से क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निगरानी और पर्यवेक्षण किया जाता है। बुनियादी स्तर पर समक्ष आ रहे संचालन संबंधी मुद्दों व समस्याओं को क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोग मुख्यालय को दिशा-निर्देश और निर्णय लेने के लिए संदर्भित किया जाता है। ऐसे मुद्दों का त्वरित और समय पर समाधान करने के लिए आयोग मुख्यालय और क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए तेजी से और दिन-प्रतिदिन के आधार पर आपसी विचार-विमर्श होता है।

2.21 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों, उनके स्थान / पते और क्षेत्राधिकार का ब्यौरा **परिशिष्ट-ड.** और **ड.(I)**में दिया गया है।

घ. बजट और परीक्षा शुल्क

2.22 भारत सरकार द्वारा आयोग के कार्य संचालन के लिए बजटीय सहायता कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वार्षिक बजट से दी जाती है। समझौता ज्ञापन

(एम.ओ.यू.) के माध्यम से आयोग द्वारा आयोजित गैर-अधिदेशित परीक्षाओं के संबंध में, व्यय संबंधित मांगकर्ता मंत्रालय/विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

2.23 आयोग अभ्यर्थियों से आवेदन की प्राप्ति के समय परीक्षा शुल्क लेता है। आयोग, सरकार के परामर्श से शुल्क ढांचे का निर्धारण करता है। वर्तमान समय में, आयोग उन श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर जिन्हें शुल्क से छूट प्राप्त है, अन्य सभी अभ्यर्थियों से 100/- रु. शुल्क लेता है। अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा), दिव्यांगजनों (शा.दि.), भूतपूर्व सैनिक (भ.पू.सै.) और सभी महिला अभ्यर्थियों, चाहे उनकी श्रेणी कुछ भी हो, को परीक्षा-शुल्क के भुगतान से छूट दी गयी है। परीक्षा शुल्क का संग्रहण सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से, भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के जरिए तथा ग्रामीण अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए भारतीय स्टेट बैंक के बैंक चालान के माध्यम से होता है। अभ्यर्थियों से लिया गया परीक्षा शुल्क भारत की संचित निधि में जमा होता है।

2.24 वर्ष 2021-22 के दौरान आयोग का व्यय 425.85 करोड़ रु. था तथा तदनुरूपी अवधि के दौरान परीक्षा शुल्क तथा परीक्षा से संबंधित अन्य प्रभारों से आय 85.23 करोड़ रु थी । कर्मचारी चयन आयोग का विगत तीन वर्षों में आय और व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका 2.2 में दिया गया है:

<u>सारणी- 2.2</u>

(रु. करोड़ में)

वर्ष	**आय**	**ब.अ. (बी ई)**	**सं.अ. (आर ई)**	**व्यय (वास्तविक)**	**उपयोग की प्रतिशतता (%)**
1	2	3	4	5	5/4
2019-20	60.14	240.22	322.47	322.09	99.88%
2020-21	68.00	241.66	380.62	380.30	99.92%
2021-22	85.23	382.59	426.72	425.85	99.80%

अध्याय -III
वर्ष 2021-22 का सिंहावलोकन

3.1 वर्ष 2021-22 के दौरान, आयोग ने 1,98,58,482 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाएं आयोजित की।

3.2 आयोग ने अपनी सभी परीक्षाओं के लिए आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त किया, जिससे आयोग और अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त रूप से समय और व्यय में काफी बचत हुई है। इससे अभ्यर्थियों का और अधिक सटीक डॉटा बेस तैयार करने में भी सहायता मिली है।

3.3 आयोग ने 21 परीक्षाएं आयोजित की, जिसमें 81,86,639 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे।

3.4 वर्ष 2021-22 के दौरान, आयोग द्वारा आयोजित सात अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतिम परिणाम घोषित किए गए। विभिन्न प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों के लिए नियुक्ति हेतु 29,173 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई। इन 29,173 अभ्यर्थियों में से, 28,081 अभ्यर्थी विभिन्न अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए तथा 1,092 अभ्यर्थी चयन पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए।

3.5 उपरोक्त के अलावा, आयोग, भारत सरकार से प्राप्त विशिष्ट निदेशों के अनुसार समझौता ज्ञापन(एम.ओ.यू) के आधार पर गैर-अधिदेशित परीक्षाओं का आयोजन भी करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, आयोग ने गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ समझौता ज्ञापन के आधार पर केंद्री सशसत्र पुलिस बल (के.स.पु.ब.), एनआइए और ससुब में कांस्टेबल (सा.ड्यू) और असम राइफल्स में कांस्टेबल (सा.ड्यू) परीक्षा, 2021 को अधिसूचित किया है।

3.6 वर्ष 2021-22 के दौरान आयोग की अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों का क्षेत्रवार और श्रेणीवार ब्यौरा नीचे तालिका- 3.1 में दिया गया है :

तालिका– 3.1

अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की गयी भर्ती

श्रेणी/ क्षेत्र	अना	आ.क.व.	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	दि.ज.*	योग
म.क्षे	1667	556	782	82	2044	427	224	**5131**
पू.क्षे	711	56	316	68	455	151	82	**1606**
के.क.क्षे	311	9	35	16	271	202	15	**642**
म.प्र.क्षे.	302	65	140	29	325	46	25	**861**
पूर्वो.क्षे.	32	5	29	128	30	20	5	**224**
उ.क्षे.	6017	1150	2528	1588	5277	703	201	**16560**
पश्चिमो.क्षे.	624	77	244	35	172	99	26	**1152**
द.क्षे.	414	47	231	80	501	202	42	**1273**
प.क्षे.	251	22	151	27	181	90	18	**632**
योग	**10329**	**1987**	**4456**	**2053**	**9256**	**1940**	**638**	**28081**

* भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांगजनों को उनकी संबंधित श्रेणियों, यथा- अना. , आ.क.व., अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व में शामिल किया गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में क्षेत्र-वार चयन

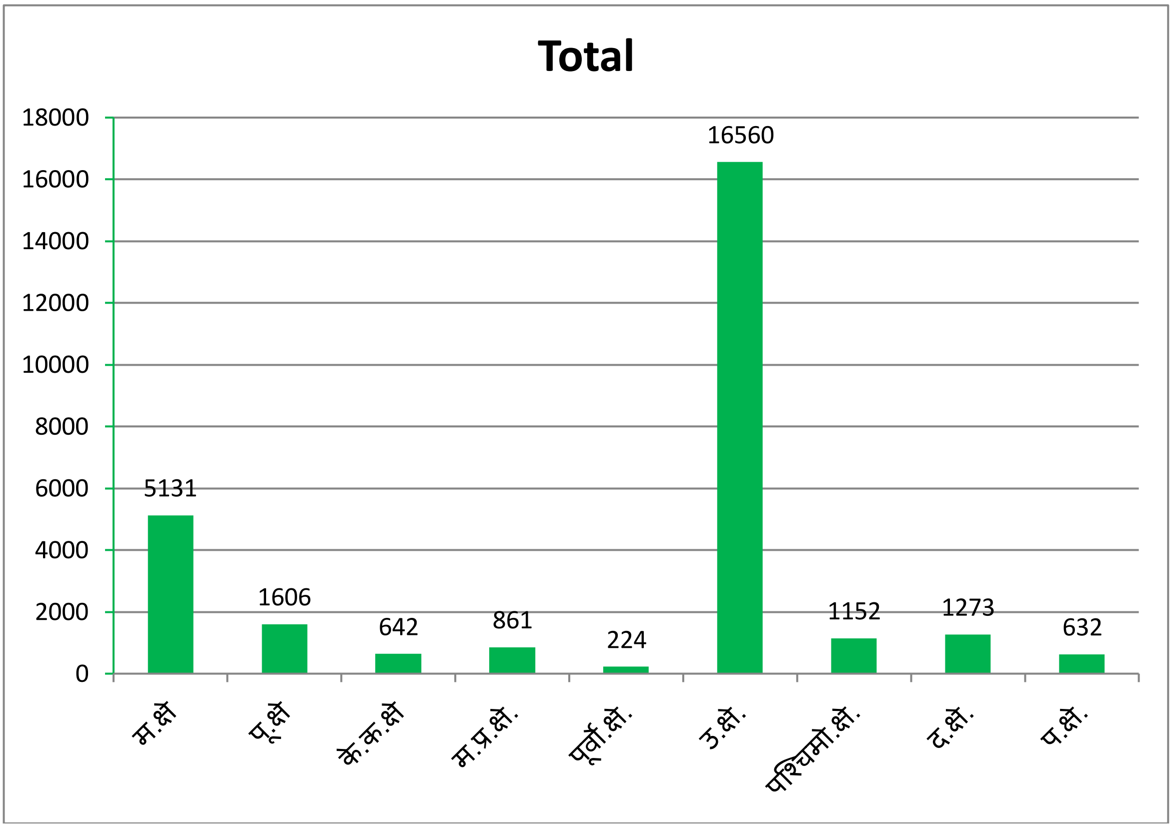

वर्ष 2021-22 के दौरान अधिदेशित अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं में अना,अजा,अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों का चयन

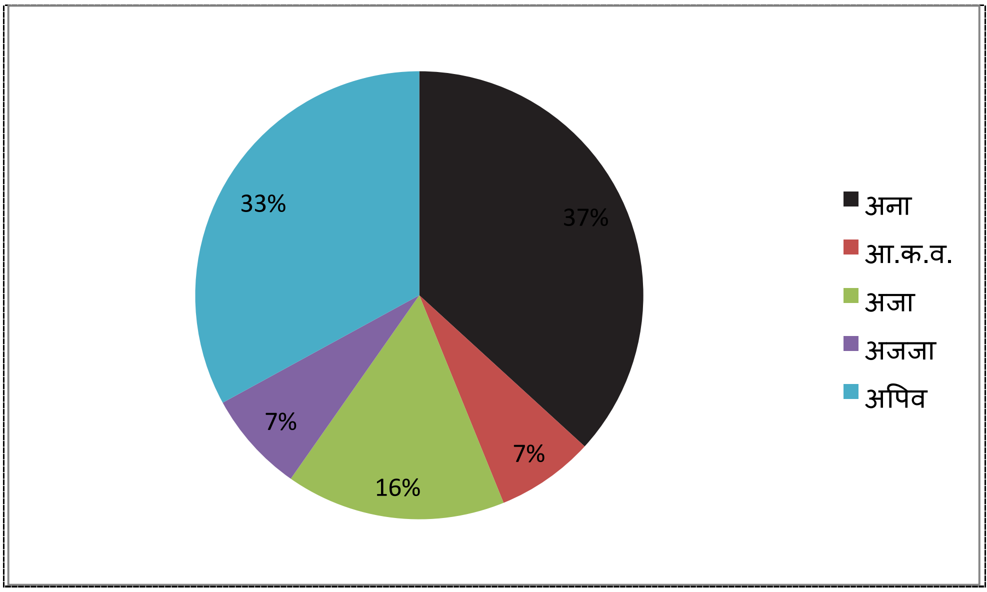

3.7 **वर्ष 2021-22 के दौरान चयन पदों पर की गयी नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों का क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नलिखित सारणी 3.2 में दिया गया है:**

सारणी – 3.2

चयन पदों के लिए की गई भर्ती

श्रेणी/ क्षेत्र	अना	आ.क.व.	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	दि.ज.*	योग
म.क्षे	47	4	7	4	32	0	1	**94**
पू.क्षे	56	2	6	7	23	0	1	**94**
के.क.क्षे	33	8	10	3	21	8	0	**75**
म.प्र.क्षे.	16	2	3	3	5	0	1	**29**
उ.क्षे.	158	8	32	14	57	5	10	**269**
पूर्वो. क्षे.	17	2	1	1	2	0	0	**23**
पश्चिमो.क्षे.	126	20	39	18	57	5	6	**260**
द.क्षे.	37	2	6	4	13	3	1	**62**
प.क्षे.	105	8	17	11	45	0	3	**186**
योग	**595**	**56**	**121**	**65**	**255**	**21**	**23**	**1092**

* * भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांगजनों को उनकी संबंधित श्रेणियों, यथा- अना. , आ.क.व., अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व में शामिल किया गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान चयन पद परीक्षाओं में क्षेत्र-वार चयन

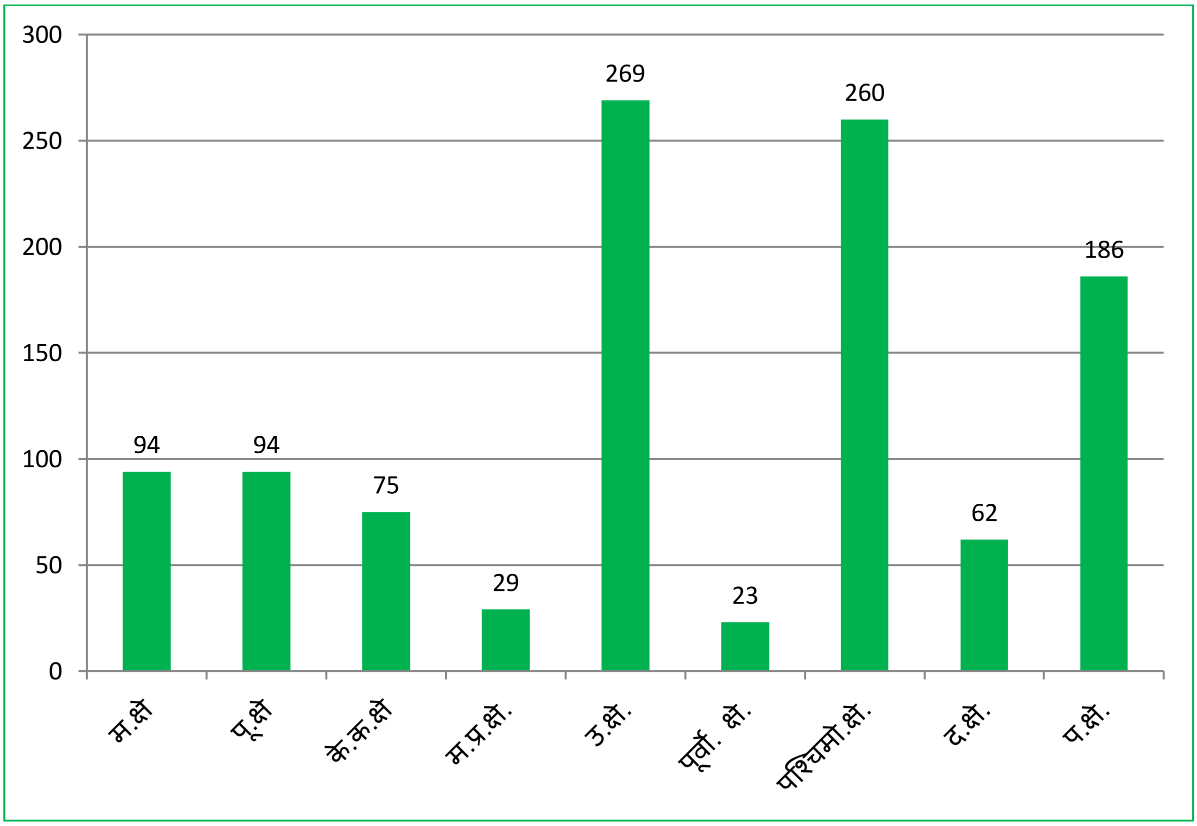

3.8 आयोग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के लिए जनशक्ति की भर्ती करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । वर्ष 2010-11 से 2021-22 की अवधि के दौरान आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 2,69,351 कांस्टेबल (सा.ड्यू.) / राइफलमैन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए 30,655 उप निरीक्षकों/ सहायक उप-निरीक्षकों की संस्तुति की है। वर्ष 2021-22 के दौरान इनमें से 5,690 कांस्टेबल (कार्यकारी) और 4,309 उप निरीक्षकों की संस्तुति की गई है ।

क. सरकारी नौकरियों में अ.ज./अ.ज.जा/अ.पि.व. के अभ्यर्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम

3.9 आयोग सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को यथोचित महत्व देता है और सुनिश्चित करता है कि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व के लिए आरक्षित रिक्तियों को पूरी तरह से भरा गया है। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:-

i) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाती है और अपिव. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाती है।

ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है।

iii) आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में जनजातीय अभ्यर्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोग का एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ में भी स्थापित किया गया है।

3.10 वर्ष 2021-22 के दौरान अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के नामित किए गए अभ्यर्थियों के ब्योरे अध्याय-IV में दर्शाए गए हैं। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं के माध्यम से 28081 अभ्यर्थियों में से 4,456 अ.जा अभ्यर्थी, 2,053 अ.ज.जा. अभ्यर्थी और 9,256 अ.पि.व. अभ्यर्थी अर्थात कुल मिलाकर 15,765 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए थे।

विभिन्न चयन पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित 1092 अभ्यर्थियों में से 121 अ.जा. अभ्यर्थी, 65 अ.ज.जा. अभ्यर्थी और 255 अ.पि.व. अभ्यर्थी कुल 441 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए।

ख. आयोग की परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी

3.11 आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेने के लिए महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, प्रत्येक विज्ञापन के प्रथम पृष्ठ पर एक शीर्षक *"सरकार एक ऐसा कार्य बल बनाने का प्रयास करती है, जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिंबित हो तथा*

महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है" विशेष रूप से शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में महिलाओं के भाग लेने को बढ़ावा देने के लिए सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में कुल 53,34,510 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया जो कि कुल आवेदकों का 28.33 % है।

ग. परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

3.12 आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में असाधारण वृद्धि होने के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षाएं कराने का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। वर्ष 2021-22 के दौरान, आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव सावधानियां बरती और उपाय किए। किए गए मुख्य उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ इनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

i) परीक्षा केंद्रों का सावधानी पूर्वक चयन,

ii) अभ्यर्थियों का बायोमिट्रिक पंजीकरण,

iii) सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के अधीन कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं का आयोजन,

iv) हस्त मैटल डिटेक्टर (एच एच एम डी) का प्रयोग करके अभ्यर्थियों की संपूर्ण जांच,

v) अभ्यर्थियों के यादृच्छिक रूप से बैठने की व्यवस्था,

vi) निरीक्षणकर्ता अधिकारियों और फ्लाइंग स्क्वाड (उड़न दस्तों) की तैनाती सहित उच्च-स्तरीय अनुवीक्षण और निरीक्षण,

vii) चयनित परीक्षा स्थलों पर सेवा प्रदाता द्वारा द्रुत अनुक्रिया दलों की तैनाती।

viii) परीक्षा आरंभ होने से पहले निरीक्षकों, निरीक्षण कर्ता अधिकारियों (आइओ) व अन्य पद अधिकारियों की विस्तृत ब्रीफिंग ,

ix) दस्तावेज सत्यापन जिसमें परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर अभ्यर्थियों की ली गई फोटो का सत्यापन आवेदनपत्र में अपलोड की गई फोटो और दस्तावेज सत्यापन मे उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी के साथ किया जाता है।

x) निम्नलिखित स्कीम के अनुसार परीक्षा स्थलों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा की तैनाती की जाती है: -

क) सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त निजी व्यावसायिक सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से परीक्षा स्थलों के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। ये सुरक्षा कार्मिक अभ्यर्थियों की संपूर्ण जामा तलाशी भी लेते हैं और परीक्षा स्थलों में अभ्यर्थियों के प्रवेश का बारीकी से संचालन करते हैं।

ख) परीक्षा स्थलों पर बाह्य सुरक्षा राज्य पुलिस कार्मिकों द्वारा मुहैया कराई जाती है।

ग) आयोग संवेदनशील/अति-संवेदनशील परीक्षा स्थलों पर, जहां आवश्यकता होती है, गृह मंत्रालय की सहायता से अर्धसैनिक बलों की तैनाती करता है।

xi) परीक्षा स्थल पर ड्यूटी पर तैनात सभी सुरक्षा कार्मिकों और परीक्षा कर्मियों को आसानी से पहचान किए जाने हेतु अपने शरीर पर प्रदर्शित वैध पहचान-पत्र के साथ ड्रेस कोड का सख्तीपूर्वक पालन करना होता है, जिससे उनकी आसानी से पहचान की जा सके।

xii) परीक्षा के दौरान निषिद्ध वस्तुओं के संबंध में अधिसूचना जारी करना जिसका परीक्षा के दौरान सख्तीपूर्वक कार्यान्वयन किया जाता है।

xiii) कदाचारों में लिप्त पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाती है, उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाती है और उन्हें आयोग की भावी परीक्षाओं में बैठने के लिए विशिष्ट अवधि के लिए वारित कर दिया जाता है।

xiv) आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के सभी केंद्रों पर कम शक्ति युक्त जैमर लगाता है।

xv) आयोग मुख्यालय में विश्वसनीय और तात्कालिक अखिल भारतीय सुदूर निगरानी व्यवस्था युक्त नवीनतम तकनीकी आधारभूत संरचना वाले 'नियंत्रण केंद्र' की स्थापना की गई हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में भी ऐसी ही सुविधा स्थापित की गई है।

घ. न्यायालयी मामले

3.13 कर्मचारी चयन आयोग अनेक न्यायालयी मामलों पर भी कार्रवाई करता है। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, आयोग द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में 2,343 मामलों और 13 विशेष अनुमति याचिकाओं के खिलाफ मुकदमा लड़ा जा रहा था। पिछले कई वर्षो से यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से देखी गई है कि किसी भी परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात असफल अभ्यर्थियों द्वारा दायर न्यायालीय मामलों में वृद्धि हो जाती है। इन न्यायालयी मामलों पर आयोग द्वारा मुस्तैदी से कार्रवाई की जाती है ताकि उन्हें न्यूनतम संभव समय में निपटाने के लिए न्यायालयों को सही, तथ्यात्मक और विधिक स्थिति की जानकारी दी जा सके । आयोग मुख्यालय तथा 09 क्षेत्रीय व उपक्षेत्रीय कार्यालयों के न्यायालयी मामलों की आयोग द्वारा नियमित आधार पर सघन रूप से निगरानी की जाती है ताकि सभी अपेक्षित कार्यों जैसे काउंटर हलफनामा दायर करना, सरकारी अधिवक्ताओं को ब्रीफिंग देना तथा अन्य प्रतिवादी संगठनों के साथ समन्वयन करना इत्यादि को शीघ्रतापूर्वक समयबद्ध तरीके से किया जा सके।

ङ. सी पी जी आर ए एम एस के अन्तर्गत लोक शिकायतों का निवारण/निपटान

3.14 इस समय, भारत सरकार की नोडल एजेन्सी अर्थात प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के अधीन ऑन लाइन लोक शिकायतों को केन्द्रित रूप से मॉनीटर किया जाता है। आयोग में अनुसंधान

एवं विश्लेषण अनुभाग सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप लोक शिकायतों/परिवादों के निवारण/निपटान के समन्वयन का कार्य करता है।

3.15 आयोग सुदृढ़ निगरानी तंत्र के जरिए यह सुनिश्चित करने का ठोस प्रयास करता है कि सभी सीपीजीआरएएम मामलों का यथोचित प्राथमिकता के आधार पर और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कुशलतापूर्वक निपटान कर दिया गया है। आयोग के सीपीजीआरएएम मामलों का औसत निपटान-समय 35 दिन है। आयोग शिकायतकर्ताओं को भेजे गए उत्तरों की गुणवत्ता को भी उचित महत्व देता है। आयोग द्वारा ऑफ लाइन शिकायतों सहित इन शिकायतों के समय पर और संतोषजनक निपटान की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है।

3.16 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारी चयन आयोग में सीपीजीआरएएमएस के अंतर्गत प्राप्त 13,754 शिकायतों में से 13,064 लोक शिकायतों का निपटान किया गया। वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त शेष 690 मामलों, जोकि वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त हुई थी, को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित कर दिया गया। पूर्व वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 30,678 शिकायते प्राप्त हुई थी । अत: प्रतवेदनाधीन वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या में काफी कमी देखने को मिली है जो आयोग के काम काज के प्रति अभ्यर्थी की धारणा में सामान्य सुधार का संकेत देता है ।

च. ऑनलाइन आरटीआई पॉर्टल

3.17 आयोग के मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचना का अधिकार आवेदनों और अपीलों को प्राप्त करने तथा उनका समयबद्ध तरीके से निपटान करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन सूचना का अधिकार पॉर्टल के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। तदनुसार,अब अधिकांश सूचना का अधिकार आवेदनों और अपीलों की ऑनलाइन प्राप्ति हो रही है तथा उन पर कार्रवाई भी ऑनलाइन की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप कागजी कार्य को कम करने के अलावा सूचना का अधिकार आवेदनों के उत्तरों को तैयार करना और उनकी सुपुर्दगी अधिक प्रभावी रूप से हो रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान, आयोग मुख्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कुल 31,163 सूचना का अधिकार आवेदन तथा 2,059 अपीलें प्राप्त हुई तथा इनका निर्धारित अवधि के भीतर त्वरित रूप से निपटान किया गया।

3.18 केन्द्रीय सूचना आयोग की तिमाही रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) में प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों और प्रथम अपीलों की कुल संख्या नीचे सारणी 3.3 में दी गई हैः-

सारणी-3.3

क्र.सं.	तिमाही विवरणी	आरटीआई आवेदन (ऑनलाइन+ ऑफलाइन)	प्रथम अपीलें
1	पहली तिमाही (01.04.21 से 30.06.21) तक)	4,052	248
2	दूसरी तिमाही (01.07.21 से 30.09.21) तक)	7,928	939
3	तीसरी तिमाही (01.10.21 से 31.12.21) तक)	10,573	476
4	चौथी तिमाही (01.01.22 से 31.03.22) तक)	8,610	396
	योग	**31,163**	**2,059**

अध्याय-IV

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित परीक्षाएं और किए गए चयन

4.1 आयोग, भारत सरकार की एक प्रमुख भर्ती एजेंसी के रूप में, अपने अधिदेशित उत्तरदायित्वों के निर्वहन में, अपनी परीक्षाओं को कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने, परिणामों की समय पर घोषणा सुनिश्चित करने और चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों आदि में शीघ्रतापूर्वक करने के लिए प्रतिबद्ध है।

4.2 वर्ष 2021-22 में कर्मचारी चयन आयोग ने 1,98,58,482 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाएं आयोजित कीं। जिसमें 1,86,87,654 अभ्यर्थी अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं और 11,70,828 अभ्यर्थी चयन पद परीक्षाओं के लिए थे।

4.3 वर्ष 2021-22 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं का परीक्षा-वार विवरण निम्नलिखित सारणी 4.1 में दिया गया है:

सारणी- 4.1
वर्ष 2021-22 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं

क्रम सं	परीक्षा का नाम	परीक्षा तिथि	पंजीकृत अभ्यर्थी	उपस्थित अभ्यर्थी
1.	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय (टियर-I) परीक्षा, 2020	12.04.2021 से 19.04.2021 और 04.08.2021 से 12.08.2021	38,98,378	11,58,047
2.	दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप- निरीक्षक तथा के.औ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2019 (पेपर-II)	26.07.2021	5,961	5,291
3.	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-I) , 2020	13.08.2021 से 24.08.2021	22,09,867	7,16,408
4.	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2019 (कौशल परीक्षा)	15.09.2021, 16.09.2021 और 07.12.2021	27,388	17,207
5.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक,वैद्युत और मात्रात्मक सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2020 (पेपर-II), 2020	26.09.2021	5,711	4,552
6.	मल्टी टास्किंग (गैर तकनीकी) स्टॉफ परीक्षा (पेपर-I), 2020	05.10.2021 से 02.11.2021	45,34,810	15,72,955

7.	आशुलिपिक ग्रेड ग एवं घ परीक्षा, 2019 (कौशल परीक्षा)	21.10.2021 से 22.10.2021	9,007	4,442
8.	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2019 (कौशल परीक्षा)	03.11.2021	28,514	19,240
9.	दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप- निरीक्षक परीक्षा, 2020 (पेपर-II)	08.11.2021	5,572	5,096
10	आशुलिपिक ग्रेड ग एवं घ परीक्षा, 2020	11.11.2021 से 15.11.2021	5,12,172	1,12,829
11	के.स.पु.ब., रा.जा.ए., स.सु.ब. में कांस्टेबल (सा.ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफल मैन (सा.ड्यूटी), 2021	16.11.2021 से 15.12.2021	71,74,579	39,93,325
12	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा (टियर-II), 2020	09.01.2022	45,479	33,827
13	वरिष्ठ सचिवालय सहायक /प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2017 (पेपर-I)	28.01.2022	80	61
14	कनिष्ठ सचिवालय सहायक /अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (पेपर-II)	28.01.2022	958	829
15	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2020 (टियर-II)	28.01.2022, 29.01.2022 और 03.02.2022	1,14,070	82,073
16	वरिष्ठ सचिवालय सहायक /प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2017 (पेपर-II)	30.01.2022	80	60
17	कनिष्ठ सचिवालय सहायक /अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (पेपर-I)	30.01.2022	958	813
18	चयन पद परीक्षा, चरण- IX/2021 / मैट्रिक स्तर	02.02.2022 से 11.02.2022 और 14.03.2022 से 16.03.2022	6,36,749	1,98,795
19	चयन पद परीक्षा, चरण- IX/2021 /उच्चतर माध्यमिक स्तर	02.02.2022 से 11.02.2022 और 14.03.2022 से 16.03.2022	2,87,025	98,808

20	चयन पद परीक्षा, चरण- IX/2021 /स्नातक स्तर	02.02.2022 से 11.02.2022 और 14.03.2022 से 16.03.2022	2,47,054	90,175
21	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2020 (टियर-III)	06.02.2022	1,14,070	71,806
	कुल		**1,98,58,482**	**81,86,639**

क. 01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान घोषित अंतिम परिणाम

4.4 वर्ष 2021-22 के दौरान, सात परीक्षाओं के अंतिम परिणाम घोषित किए गए थे। इनका ब्योरा नीचे सारणी 4.2 से 4.15 में दिया गया है : -

1. संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2018
परिणाम घोषित करने की तिथि –01.04.2021

सारणी-4.2

	अना.	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	दि.ज.*	योग
आवेदक अभ्यर्थियों की कुल संख्या	985821	499332	174280	937998	21287	35891	2597431
कौशल परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	13810	5162	2437	10467	2806	1332	31876
दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	13864	5178	2444	10516	2806	1426	32002
अंतिम रूप से संस्तुत	**5241**	**1702**	**848**	**3312**	**684**	**410**	**11103**

सारणी-4.3

1. संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2018: क्षेत्र/श्रेणी-वार विवरण

क्षेत्र/श्रेणी	अना.	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	दि.ज.*	योग
म.क्षे.	805	179	37	680	134	129	**1701**
पू.क्षे.	469	185	32	214	75	43	**900**
के.क.क्षे.	171	24	10	144	85	9	**349**
म.प्र.क्षे.	152	27	14	82	9	17	**275**
पूर्वो.क्षे	18	11	45	18	12	4	**92**
उ.क्षे.	2785	938	618	1676	192	140	**6017**
पश्चिमो.क्षे.	354	99	19	70	25	22	**542**
द.क्षे.	323	160	60	313	109	35	**856**
प.क्षे.	164	79	13	115	43	11	**371**
योग	**5241**	**1702**	**848**	**3312**	**684**	**410**	**11103**

2. दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप- निरीक्षक तथा के.औ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2018
परिणाम घोषित करने की तिथि –20.4.2021

सारणी-4.4

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	योग
आवेदक अभ्यर्थियों की कुल संख्या	242861	181127	88722	311020	9868	**823730**
दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	853	289	238	1177	167	**2557**
अंतिम रूप से संस्तुत	**662**	**219**	**128**	**561**	**108**	**1570**

सारणी-4.5

दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप- निरीक्षक तथा के.औ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2018 :क्षेत्र/श्रेणी- वार विवरण

क्षेत्र/श्रेणी	अना.	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	योग
म.क्षे.	53	21	3	62	16	**139**
पू.क्षे.	10	4	2	9	5	**25**
के.क.क्षे.	9	0	0	12	7	**21**

म.प्र.क्षे.	10	1	2	4	4	**17**
पूर्वो.क्षे	0	2	7	0	0	**9**
उ.क्षे.	532	171	106	447	59	**1256**
पश्चिमो.क्षे.	36	10	5	12	5	**63**
द.क्षे.	3	4	1	10	5	**18**
प.क्षे.	9	6	2	5	7	**22**
योग	**662**	**219**	**128**	**561**	**108**	**1570**

3. संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2018
परिणाम घोषित करने की तिथि –29.10.2021

सारणी-4.6

	अना.	**आ.क.व.**	**अजा**	**अजजा**	**अपिव**	**भूपूसै***	**दि.ज.***	**योग**
आवेदक अभ्यर्थियों की कुल संख्या	692566	230104	644583	242210	1264375	13774	38799	**3073838**
कौशल परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	9151	5653	6290	3367	10790	3990	1552	**35251**
दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	4246	3075	3049	1696	5714	948	687	**17780**
अंतिम रूप से संस्तुत	**1914**	**714**	**898**	**463**	**1656**	**534**	**210**	**5645**

सारणी-4.7

संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय (टियर-II) परीक्षा, 2018 : क्षेत्र/ श्रेणी-वार विवरण

क्षेत्र/श्रेणी	**अना.**	**आ.क.व**	**अजा**	**अजजा**	**अपिव**	**भू.पू.सै.**	**दि.ज.***	**योग**
म.क्षे.	367	273	192	28	614	115	89	**1474**
पू.क्षे.	167	36	93	12	126	58	35	**434**
के.क.क्षे.	102	6	6	2	76	90	4	**192**
म.प्र.क्षे.	48	18	22	4	46	14	8	**138**
पूर्वो.क्षे	9	3	1	10	7	7	1	**30**
उ.क्षे.	1057	340	491	392	663	145	58	**2943**
पश्चिमो.क्षे.	66	8	24	1	18	17	4	**117**

द.क्षे.	54	21	41	10	78	62	7	**204**
प.क्षे.	44	9	28	4	28	26	4	**113**
योग	**1914**	**714**	**898**	**463**	**1656**	**534**	**210**	**5645**

4. कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2020

परिणाम घोषित करने की तारीख – 29.10.2021

सारणी – 4.8

	अना.	आकव	अजा	अजजा	अपिव	भू.पू.सै*	दि.ज.*	कुल
आवेदक अभ्यर्थियों की कुल संख्या	3672	363	3368	1482	4630	371	277	**13515**
दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	256	122	164	49	479	48	48	**1070**
अंतिम रूप से संस्तुत	**61**	**20**	**21**	**9**	**71**	**10**	**6**	**182**

सारणी– 4.9

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2020 - क्षेत्र/श्रेणी-वार विवरण

क्षेत्र/ श्रेणी	अना	आकव	अजा	अजजा	अपिव	भू.पू.सै*	दि.ज.*	कुल
म.क्षे.	3	5	1	0	11	0	1	**20**
पू.क्षे.	19	1	7	5	27	0	2	**59**
के.क.क्षे.	3	0	2	1	4	0	0	**10**
म.प्र.क्षे.	1	0	0	1	1	1	0	**3**
पूर्वो.क्षे	0	0	1	0	0	0	0	**1**
उ.क्षे.	28	14	8	1	20	5	2	**71**
पश्चिमो.क्षे.	1	0	0	0	2	0	0	**3**
द.क्षे.	3	0	1	1	2	2	0	**7**
प.क्षे.	3	0	1	0	4	2	1	**8**
योग	**61**	**20**	**21**	**9**	**71**	**10**	**6**	**182**

5. दिल्ली पुलिस में पुरूष एवं महिला कांस्टेबल (कार्यकारी) परीक्षा, 2020

परिणाम घोषित करने की तारीख – 15.12.2021

सारणी – 4.10

	अना	आ.क.व.	अजा	अजजा	अपिव	भू.पू.सै*	कुल
आवेदक अभ्यर्थियों की कुल संख्या	716275	63643	686072	271500	1158555	23236	**2896045**
दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	13804	9068	13242	3990	27636	3557	**67704**
अंतिम रूप से संस्तुत	**1367**	**759**	**1035**	**319**	**2210**	**338**	**5690**

सारणी – 4.11

दिल्ली पुलिस में पुरूष एवं महिला कांस्टेबल (कार्यकारी) परीक्षा, 2020 – क्षेत्र/श्रेणी-वार विवरण

क्षेत्र/श्रेणी	अना	आ.क.व.	अजा	अजजा	अपिव	भू.पू.सै*	कुल
म.क्षे.	210	136	242	8	341	79	**937**
पू.क्षे.	3	2	3	6	18	4	**32**
के.क.क्षे.	1	0	1	0	3	0	**5**
म.प्र.क्षे.	35	22	65	2	111	5	**235**
पूर्वो.क्षे	0	1	0	0	0	0	**1**
उ.क्षे.	1007	552	637	296	1680	212	**4172**
पश्चिमो.क्षे.	106	39	73	4	46	34	**268**
द.क्षे.	2	2	1	0	2	1	**7**
प.क्षे.	3	5	13	3	9	3	**33**
योग	**1367**	**759**	**1035**	**319**	**2210**	**338**	**5690**

6. कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत और मात्रा सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2019

परिणाम घोषित करने की तारीख – 27.01.2022

सारणी 4.12

	अना.	आकव	अजा	अजजा	अपिव	दि.ज.*	कुल
आवेदक अभ्यर्थियों की कुल संख्या	180976	63830	160786	59640	340846	6588	**806078**
दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	388	502	500	242	1258	44	**2890**
अंतिम रूप से संस्तुत	**260**	**177**	**173**	**84**	**458**	**12**	**1152**

सारणी 4.13

कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत और मात्रा सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2019: क्षेत्र / श्रेणीवार विवरण

क्षेत्र/श्रेणी	अना.	आकव	अजा	अजजा	अपिव	दि.ज.*	कुल
म.क्षे.	76	70	79	1	172	5	**398**
पू.क्षे.	26	6	10	2	29	2	**73**
के.क.क्षे.	5	3	1	1	11	2	**21**
म.प्र.क्षे.	29	20	9	5	49	0	**112**
पूर्वो.क्षे	2	1	2	0	1	0	**6**
उ.क्षे.	82	46	56	68	127	1	**379**
पश्चिमो.क्षे.	17	8	2	2	0	0	**29**
द.क्षे.	12	21	8	3	62	0	**106**
प.क्षे.	11	2	6	2	7	2	**28**
योग	**260**	**177**	**173**	**84**	**458**	**12**	**1152**

7. दिल्ली पुलिस, के.स.पु.ब. में उप निरीक्षक और के.औ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2019

घोषित करने की तारीख – 30.01.2022

सारणी 4.14

	अना.	आकव	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	कुल
आवेदक अभ्यर्थियों की कुल संख्या	182591	44989	154972	88961	201779	10937	**673292**
दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	1093	581	537	417	1377	365	**4005**
अंतिम रूप से संस्तुत	**824**	**317**	**408**	**202**	**988**	**266**	**2739**

सारणी 4.15

दिल्ली पुलिस, के.स.पु.ब. में उप निरीक्षक और के.औ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2019: क्षेत्र / श्रेणीवार विवरण

क्षेत्र/श्रेणी	अना.	आकव	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	कुल
म.क्षे.	153	72	68	5	164	83	**462**
पू.क्षे.	17	11	14	9	32	9	**83**
के.क.क्षे.	20	0	1	2	21	20	**44**
म.प्र.क्षे.	27	5	16	1	32	13	**81**
पूर्वो.क्षे	3	0	12	66	4	1	**85**
उ.क्षे.	526	198	227	107	664	90	**1722**
पश्चिमो.क्षे.	44	22	36	4	24	18	**130**
द.क्षे.	17	3	16	5	34	23	**75**
प.क्षे.	17	6	18	3	13	9	**57**
योग	**824**	**317**	**408**	**202**	**988**	**266**	**2739**

* भूपूसै औ़र दिव्यांगजनों को उनकी संबंधित श्रेणी, यथा- अना., आकव, अजा, अजजा, और अपिव में शामिल किया गया है।

टिप्पणी : अना. श्रेणी में अनारक्षित मानकों में अर्हताप्राप्त अजा /अजजा / अपिव अभ्यर्थी भी शामिल हैं।

ख. वार्षिक टंकण परीक्षा

4.5 आयोग भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सहायकों/अवर श्रेणी लिपिकों (सीधी भर्ती से आए अवर श्रेणी लिपिकों को छोड़कर) आदि के लिए वेतनवृद्धि प्रदान करने और संबंधित ग्रेड में स्थायी किए जाने के उद्देश्य से कंप्यूटर पर वार्षिक टंकण परीक्षा आयोजित करता है। वार्षिक विभागीय टंकण कौशल परीक्षा 2020 का परिणाम आयोग द्वारा 28.12.2021 को घोषित किया गया। परीक्षा में उपस्थित 198 अभ्यर्थियों में से 53 अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त की और 26 अभ्यर्थियों के बारे में यह माना गया कि उन्होंने वास्तविक प्रयास किया गया।

ग. वार्षिक आशुलिपि परीक्षा

4.6 आयोग आशुलिपिक श्रेणी `घ' विभागीय अभ्यर्थियों के लिए वार्षिक विभागीय आशुलिपि परीक्षा का आयोजन भी करता है। वार्षिक विभागीय कौशल परीक्षा, 2020 का परिणाम दिनांक 28.12.2021 को घोषित किया गया। वार्षिक विभागीय कौशल परीक्षा, 2020 में उपस्थित 148 अभ्यर्थियों में से 14 अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त की।

अध्याय-V
चयन पदों पर भर्ती

5.1 आयोग, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों से संबंधित चयन पदों के लिए भी भर्ती करता है। चयन पद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में एकाकी पद होते हैं जो आयोग द्वारा आयोजित किसी भी अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं है, क्योंकि इनमें रिक्तियों की संख्या सामान्यतः कम होती है तथा ऐसे पदों के लिए अनिवार्य योग्यता संबंधित पद (पदों) की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप मैट्रिक्यूलेशन से स्नातकोत्तर तक भिन्न-भिन्न होती है।

5.2 **चयन पदों पर भर्ती निम्नलिखित चरणों में की जाती है :-**

i) संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय(यों) द्वारा सीधे तौर पर प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों से सिंगल विंडो प्रणाली के अन्तर्गत मांग प्राप्त करना ।

ii) आयोग और इसके सभी क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर चयन पदों पर भर्ती हेतु रिक्तियों का हिन्दी एवं अंग्रेजी में विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित किया जाता हैं । क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एक निर्देशात्मक विज्ञप्ति रोजगार समाचार और साथ ही साथ देश के प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषा के समाचार-पत्र में भी प्रकाशित की जाती है।

iii) कंप्यूटर आधारित प्रणाली में लिखित परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं।

iv) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों से प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु अनंतिम उत्तर कुंजियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के दो सप्ताह के भीतर अपलोड किया जाता है। अभ्यर्थियों से प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए परिणाम तैयार किया जाता है।

v) परीक्षा के आयोजन के पश्चात, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को भरे गए आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट-आउट को, संवीक्षा चरण में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों)/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कराना होता है।

vi) संबंधित क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय(यों) द्वारा अगले चरण के लिए अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों की दस्तावेज़ संवीक्षा तथा उसके बाद जहां अनिवार्य योग्यता में निर्धारित किया गया है, टंकण/डाटा एंट्री/कंप्यूटर प्रवीणता आदि परीक्षा आयोजित की जाती है।

vii) यदि दस्तावेजों की जांच/अंतिम दस्तावेज सत्यापन के चरण के दौरान आयोग यह देखता है कि किसी विशेष श्रेणी के पद (पदों) के लिए रिक्तियां पूरी तरह से नहीं भरी जा रही हैं, तो जिन अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है, उन्हें आयोग के विवेक पर 5 रिक्तियों

के लिए 1:20 के अनुपात और 5 से अधिक रिक्तियों के लिए 1:10 के अनुपात में रिक्तियों को भरने के लिए बुलाया जाता है।

viii) प्रत्येक श्रेणी के पद (पदों) के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) का कार्य संबंधित क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

ix) आयोग (मुख्यालय) से अनुमोदन लेने के पश्चात, प्रत्येक श्रेणी के पद (पदों) के लिए अलग-अलग अंतिम चयन सूची घोषित की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

x) अभ्यर्थियों को पदों के लिए विज्ञापित रिक्तियों के अनुरूप उनके रैंक और श्रेणी के अनुसार नामित किया जाता है। आयोग के संबंधित क्षेत्रीय /उप क्षेत्रीय कार्यालय(यों) द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों में नामित किया जाता है।

xi) आयोग चयन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अध्यधीन आरक्षित सूची का अनुरक्षण करता है । आरक्षित सूची का संचालन इसके संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा केवल उन्हीं मामलों में किया जाता है जिनमें प्रयोक्ता विभाग से इस संबंध में अनुरोध मिला हो कि चयन सूची से नामित अभ्यर्थियों ने प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग में कार्य ग्रहण नहीं किया हैं, जिसके कारण उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई है। आरक्षित सूची का संचालन वैध अवधि के भीतर ही किया जाता है।

xii) पदों की विशेष श्रेणी के लिए अंतिम परिणाम की घोषणा के समय केवल चयनित अभ्यर्थियों के स्कोर / अंक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर दिखाए / उपलब्ध कराए जाते हैं। पदों की किसी भी श्रेणी के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने वाले अन्य सभी अभ्यर्थियों के अंक अन्य सभी श्रेणियों के पदों के संपूर्ण परिणाम की घोषणा के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

5.3 वर्ष 2021-22 के दौरान, आयोग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में चयन पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल 1092 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई। इनका ब्योरा नीचे सारणी(णियों) 5.1 से 5.2 में दिया गया है:

<u>सारणी-5.1</u>
<u>समूह 'ख' चयन पद</u>

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	विज्ञप्ति के अनुसार रिक्तियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	कुल
1.	**म.क्षे.**	29	27	1	28
2.	**पू.क्षे.**	27	22	4	26
3.	**के.क. क्षे.**	53	24	2	26
4.	**म.प्र.क्षे.**	15	6	4	10

5.	उ.क्षे.	214	132	25	157
6.	पूर्वो.क्षे.	6	4	0	4
7.	पश्चिमों.क्षे .	156	103	50	153
8.	द. क्षे.	34	27	4	31
9.	प. क्षे.	131	117	12	129
	कुल	**665**	**462**	**102**	**564**

सारणी-5.2
समूह 'ग' चयन पद

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	विज्ञप्ति के अनुसार रिक्तियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	कुल
1	म.क्षे.	72	39	27	66
2	पू.क्षे.	78	49	19	68
3	के.क. क्षे.	64	34	15	49
4	म.प्र.क्षे.	26	18	1	19
5	उ.क्षे.	118	95	17	112
6	पूर्वो.क्षे.	20	0	19	19
7	पश्चिमों.क्षे .	476	78	29	107
8	द. क्षे.	33	27	4	31
9	प. क्षे.	64	53	4	57
	कुल	**951**	**393**	**135**	**528**

श्रेणी-वार ब्यौरा परिशिष्ट च और च-I में दिया गया है।

अध्याय-VI

परीक्षा केन्द्र

6.1 आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण, पिछले कुछ वर्षों के दौरान परीक्षा केन्द्रों (शहरों) की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जुलाई 1976 में, जब आयोग ने कार्य करना आरम्भ किया था, केवल 09 परीक्षा केन्द्र थे। तब से परीक्षा केन्द्रों की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। वर्ष 2016 से, परीक्षा की परम्परागत पद्धति अर्थात् ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओ.एम.आर.) पद्धति से कम्प्यूटर आधारित पद्धति (क.आ.प.) परीक्षा में परिवर्तन होने के कारण कम्प्यूटर नॉड्स से युक्त परीक्षा स्थलों/केन्द्रों की उपलब्धता अनिवार्य आवश्यकता बन गयी है। इस कारण परीक्षा केन्द्रों को सरकारी विद्यालयों से सुसज्जित उपकरणों से युक्त कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं तथा तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों में स्थानान्तरित करना अनिवार्य हो गया है।

6.2 आयोग सम्पूर्ण देश में चुने गए केन्द्रों में अपनी परीक्षाओं का आयोजन करता है । इन केन्द्रों का चयन विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :

i) आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप कम्प्यूटर नॉड्स, इंटरनेट सुविधाओं तथा अबाधित विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता।

ii) ग्रामीण, सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों में पहुँचने की सुगमता।

iii) राज्य सरकारों द्वारा उन परीक्षा स्थलों पर सुरक्षा प्रबंध करने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आश्वासन।

iv) मूल सुविधाओं जैसे पेय जल और स्वच्छता का प्रबंध तथा परीक्षा स्थलों में पर्याप्त धारित-स्थान की उपलब्धता ताकि अभ्यर्थी अपने निजी सामान इत्यादि को वहां जमा करा सकें।

v) संबंधित शहर के केन्द्रीय व्यावसायिक जिले से परीक्षा स्थलों तक पहुँचने की सुगमता।

vi) महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगजनों के लिए परीक्षा स्थलों की उपयुक्तता जिससे ऐसे अभ्यर्थियों को अधिक दूर न जाना पड़े और असुविधा भी न हो।

vii) भीड़-भाड़ वाले/वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थित परीक्षा स्थलों का सामान्यत: चयन नही किया जाता है।

viii) परीक्षाओं के लिए परीक्षा स्थलों का चयन करते समय उनके पिछले कार्य-निष्पादन के रिकार्ड का ध्यान रखा जाता है।

6.3 कुछ मामलों में, परीक्षाओं के वरीय केन्द्रों/स्थलों पर कम्प्यूटर नॉड्स की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने के कारण अभ्यर्थियों को अन्य स्थानों के लिए स्थानान्तरित किया जाता है। कुछेक अवसरों पर, परीक्षा

की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों की पसंद से इतर उन्हें अन्य केन्द्रों पर भी आबंटित किया जाता है।

6.4 प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान आयोग ने देश भर के 143 परीक्षा केंद्रों (शहरों) में स्थित 341 परीक्षा स्थलों पर 71,74,579 अभ्यर्थियों के लिए अपनी सबसे बड़ी परीक्षा अर्थात के.स.पु.ब., रा.जा.ए. स.सु.ब. में कांस्टेबल (सा.ड्यू) और असम राइफल्स में राइफल मैन (सा.ड्यू) परीक्षा, 2021 का आयोजन किया।

6.5 कंप्यूटर आधारित प्रणाली की परीक्षा में परीक्षा केन्द्रों व स्थलों [के.स.पु.ब., रा.जा.ए. स.सु.ब. में कांस्टेबल (सा.ड्यू) और असम राइफल्स में राइफल मैन (सा.ड्यू) परीक्षा, 2021 के आधार पर] का क्षेत्र-वार व उप-क्षेत्रवार संख्या का ब्यौरा नीचे सारणी(णियों) 6.1 से 6.9 में दिया गया है:

सारणी-6.1

1. मध्य क्षेत्र

क्रम सं.	**परीक्षा केद्र**	**परीक्षा स्थलो की संख्या**
1.	आगरा	7
2.	अलीगढ़	1
3.	आरा	1
4.	बरेली	3
5.	भागलपुर	1
6.	गोरखपुर	2
7.	झांसी	3
8.	कानपुर	9
9.	लखनऊ	17
10.	मेरठ	3
11.	मुरादाबाद	1
12.	मुजफ्फरनगर	2
13.	मुजफ्फरपुर	4
14.	पटना	24
15.	प्रयागराज	12
16.	पूर्णिया	2
17.	वाराणसी	16
	कुल	**108**

सारणी 6.2

2. पूर्वी क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1.	आसनसोल	1
2.	बालासोर	2
3.	बरहमपुर गंजम	2
4.	भुबनेश्वर	3
5.	बोकारो स्टील सिटी	1
6.	कटक	2
7.	धेनकनाल	1
8.	गेंगटोक	1
9.	हजारीबाग	1
10.	जमशेदपुर	1
11.	कल्याणी	1
12.	कोलकाता	3
13.	पोर्ट ब्लेयर	1
14.	रांची	4
15.	राउरकेला	1
16.	संबलपुर	2
17.	सिलिगुड़ी	3
	योग	**30**

सारणी-6.3

3. कर्नाटक एवं केरल क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1.	बेलागवी (बेलगाम)	1
2.	बेंगलुरु	4
3.	एरनाकुलम	1
4.	हुब्बल्ली (हुबली)	1
5.	कलबुर्गी (गुलबर्गा)	1
6.	कन्नूर	2
7.	कोलम	1
8.	कोट्टायम	1
9.	कोझिकोड	4
10.	मंगलुरु (मैंगलोर)	1

11.	मेसुरु (मैसोर)	1
12.	शिवामोग्गा (शिवमोगा)	1
13.	तिरुवनंतपुरम	2
14.	त्रिसूर	3
15.	उडुपी	1
	योग	**25**

सारणी-6.4

4. मध्य प्रदेश क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1.	भिलाई नगर	3
2.	भोपाल	2
3.	बिलासपुर	1
4.	ग्वालियर	1
5.	इंदौर	2
6.	जबलपुर	1
7.	रायपुर	3
8.	सागर	1
9.	सतना	1
10.	उज्जैन	1
	योग	**16**

सारणी -6.5

5. पूर्वोत्तर क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1	अगरतला	3
2	आइजॉल	1
3	चुड़ाचांदपुर	1
4	डिब्रुगढ़	3
5	दीमापुर	1
6	गुवाहाटी	6
7	इंफाल	3

8	जोरहाट	4
9	कोहिमा	1
10	लखीमपुर	1
11	नहरलागन	1
12	शिलांग	1
13	सिलचर	1
14	तेजपुर	1
15	उखरूल	1
	योग	**29**

सारणी-6.6

6. उत्तरी क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1.	अजमेर	1
2.	अलवर	2
3.	बीकानेर	2
4.	देहरादून	6
5.	फरीदाबाद	1
6.	गाजियाबाद	1
7.	ग्रेटर नोएडा	1
8.	गुरुग्राम	1
9.	हलद्वानी	5
10.	जयपुर	10
11.	जोधपुर	3
12.	कोटा	2
13.	नई दिल्ली	8
14.	नोएडा	2
15.	रूड़की	4
16.	सीकर	5
17.	श्री गंगानगर	1
18.	उदयपुर	1
	योग	**56**

सारणी-6.7

7. पश्चिमोत्तर क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1.	अंबाला	1
2.	अमृतसर	1
3.	भटिंडा	1
4.	चंडीगढ़	1
5.	हमीरपुर	1
6.	जालंधर	2
7.	जम्मू	1
8.	लेह	1
9.	मोहाली	1
10.	पटियाला	1
11.	संबा	1
12.	शिमला	2
13.	श्रीनगर	2
14.	उना	2
	योग	**18**

सारणी-6.8

8. दक्षिणी क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1.	चेन्नै	1
2.	चिराला	1
3.	कोयम्बटूर	1
4.	गंटूर	2
5.	हैदराबाद	2
6.	काकीनाडा	1
7.	करीमनगर	1
8.	कुर्नूल	1
9.	मदुरै	2
10.	नेल्लोर	1
11.	राजामुंदरी	1
12.	सेलम	1
13.	तिरुचिरापल्ली	1
14.	तिरुनेलवेली	1

15.	तिरूपति	1
16.	वेल्लोर	1
17.	विजयवाड़ा	1
18.	विशाखापत्तनम	2
19.	विजियानगरम	1
20.	वारंगल	3
	योग	**26**

सारणी-6.9

9. पश्चिमी क्षेत्र

क्रम सं.	**परीक्षा केंद्र**	**परीक्षा स्थलों की संख्या**
1.	अहमदाबाद	3
2.	अमरावती	2
3.	आनंद	1
4.	औरंगाबाद	1
5.	गांधीनगर	2
6.	जलगांव	2
7.	कोल्हापुर	3
8.	मेहसाना	1
9.	मुंबई	1
10.	नागपुर	3
11.	नांदेड़	2
12.	नासिक	2
13.	पणजी	1
14.	पुणे	3
15.	राजकोट	3
16.	सूरत	1
17.	वडोदरा	2
	योग	**33**

अध्याय VII
अभ्यर्थियों का लिंग-वार प्रदर्शन

7.1 वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल 53,34,510 महिला अभ्यर्थियों, 1,34,97,454 पुरूष अभ्यर्थियों और 101 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों ने आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन किए, जिसे नीचे दी गई सारणी-7.1 में देखा जा सकता है :-

<u>सारणी-7.1</u>

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान आयोजित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिंग-वार संख्या

क्र.सं	परीक्षा का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या			
		महिला	पुरूष	ट्रांसजेडर	कुल
1	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2021	7,93,238	13,66,481	04	21,59,723
2	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2021	13,78,181	24,76,947	24	38,55,152
3	मल्टी टासकिंग (गैर तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, 2021	10,73,609	28,59,489	22	39,33,120
4	केद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (के.स.पु.ब.), रा.जा.ए. स.सु.ब. में कांस्टेबल (सा.ड्यू) और असम राइफल्स (एआर) में राइफल मैन (सा.ड्यू) परीक्षा, 2021	14,96,097	56,78,445	38	71,74,580
5	चयन पद परीक्षा (चरण – IX), 2021	5,93,385	11,16,092	13	17,09,490
	कुल	**5334510**	**13497454**	**101**	**1,88,32,065**

7.2 आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। सरकार की मौजूदा नीति के अनुरूप आयोग महिला अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लेता है। आयोग यह भी सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करता है कि महिला अभ्यर्थियों को उनकी पसंद का परीक्षा स्थल आवंटित किया जाए,जो उनके निवास स्थान(नों) के निकट हो।

7.3 ऊपर दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्राप्त हुए कुल 1,88,32,065 आवेदनों में से 53,34,510 आवेदन

महिला अभ्यर्थियों से प्राप्त हुए थे। इस प्रकार पिछले वर्ष के दौरान 31.65 % की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान महिला अभ्यर्थियों का प्रतिशत 28.37% था।

7.4 महिला अभ्यर्थियों के आवेदनों का प्रतिशत सबसे अधिक संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2021 में था, जहां कुल अभ्यर्थियों में से महिला अभ्यर्थियों का प्रतिशत 36.73% था। इसके बाद संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय (10+2) परीक्षा, 2021 का स्थान है, जिसमें कुल अभ्यर्थियों में से 35.75% महिला अभ्यर्थी थी। महिला अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों की सबसे कम संख्या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (के.स.पु.ब.), रा.जा.ए. स.सु.ब. में कांस्टेबल (सा.ड्यू) और असम राइफल्स (एआर) में राइफल मैन (सा.ड्यू) परीक्षा, 2021 में दर्ज की गई, जो केवल 20.85%. थी। पिछले वर्ष के दौरान जिन दो परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक और जिस एक परीक्षा में उनका प्रतिनिधित्व सबसे कम था, उनके आंकड़े क्रमश: 42.25%, 37.97% और 19.12% थे।

7. 5 वर्ष के दौरान घोषित अंतिम परिणामों में महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर, नीचे सारणी-7.2 में दी गई हैं :

<u>सारणी-7.2</u>

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान घोषित अंतिम परिणामों में महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर

क्र.सं	परीक्षा का नाम	योग अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या		
		कुल	महिला	प्रतिशत
1	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2018	11103	1527	13.75
2	दिल्ली पुलिस, के.स.पु.ब. में उप निरीक्षक तथा के.औ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2018	1570	161	10.25
3	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2018	5645	841	14.90
4	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2020	182	85	46.70
5	दिल्ली पुलिस में पुरूष एवं महिला कांस्टेबल (कार्यकारी) परीक्षा, 2020	5690	1919	33.73
6	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत और मात्रात्मक सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2018	1152	19	1.65
7	दिल्ली पुलिस, के.स.पु.ब. में उप निरीक्षक तथा के.औ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2019	2739	246	8.98
	कुल	**28081**	**4798**	**17.09**

7.6 यह देखा जा सकता है कि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2020 में महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर सबसे अधिक थी जो कि 46.70 % थी।

7.7 भारत सरकार (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के निर्देश के अनुसार कार्यालय ज्ञापन संख्या 39028/02/2016-स्था (बी), दिनांक 20 अप्रैल, 2020 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु आयोग ने अपनी परीक्षाओं के लिए लिंग की एक अलग श्रेणी के रूप में 'ट्रांसजेंडर' को शामिल करने के लिए आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन किया है। वर्ष 2021-22 के दौरान 101 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों ने आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन किया। .

अध्याय-VIII
आयोग के अन्य महत्वपूर्ण कार्य-कलाप

क. कौशल परीक्षा

8.1 आयोग ने दिनांक 01.04.2010 से कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार की कौशल परीक्षाओं अर्थात टंकण परीक्षा/आशुलिपि परीक्षा/कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (क.प्र.प.)/डाटा एंट्री कौशल परीक्षा (डा.ए.कौ.प) आयोजत करने संबंधी तौर-तरीकों को अपनाया है । वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 78,876 पात्र अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए विभिन्न कौशल परीक्षाओं में बैठने के लिए बुलाया गया था । नीचे दी गई सारणी-8.1 में आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कौशल परीक्षा / क.प्र.प / डा.ए.कौ.प में बैठने के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों का क्षेत्र तथा उप- क्षेत्रवार विवरण दर्शाया गया है: -

<u>सारणी-8.1</u>

क्षेत्र	कौशल परीक्षा / क.प्र.प / डा.ए.कौ.प के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या			योग
	आशुलिपिक ग्रेड 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2019	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा, 2019	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2019	
म.क्षे.	2441	9495	8686	20622
पू.क्षे.	651	2528	4340	7519
के.क.क्षे.	389	998	1404	2791
म.प्र.क्षे.	436	1134	1178	2748
पूर्वोत्तर क्षे.	82	113	572	767
उ.क्षे.	4151	11781	18890	34822
पश्चिमोत्तर क्षे.	164	529	1037	1730
द.क्षे.	444	1109	3305	4858
प.क्षे.	249	821	1949	3019
योग	**9007**	**28508**	**41361**	**78876**

ख. शारीरिक और चिकित्सा जांच

8.2 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस में पदों की भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी), शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी) और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) अनिवार्य चरण

हैं। यदि अभ्यर्थी को डीएमई में 'अयोग्य' घोषित किया जाता है, तो अभ्यर्थियों के लिए समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) के लिए अपील करने का प्रावधान है। पीएसटी / पीईटी और डीएमई / आरएमई का वास्तविक संचालन यथा-प्रयोज्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाता है। नीचे दी गई सारणी-8.2 में आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पीएसटी / पीईटी और डीएमई / आरएमई में उपस्थित होने वाले अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों का क्षेत्र / उप-क्षेत्र-वार विवरण दर्शाया गया है: -

सारणी-8.2

क्षेत्र	शा.क्ष.प. / शा.मा.प./वि. चि.प./ स.चि.प. में बैठने हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या					योग
	दिल्ली पुलिस, के.स.पु.ब. में उप निरीक्षक और के.औ.सु.ब. सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2019-वि.क्ष.प../स.चि.प. हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी	दिल्ली पुलिस, के.स.पु.ब. में उप निरीक्षक और के.औ.सु.ब. सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2020 – शा.क्ष.प./शा.मा.प. में बैठने हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी	दिल्ली पुलिस, के.स.पु.ब. में उप निरीक्षक उप निरीक्षक परीक्षा, 2020-वि.क्ष.प../स.चि.प. हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी	दिल्ली पुलिस में पुरूष एवं महिला कांस्टेबल (कार्यकारी) परीक्षा, 2020-शा.क्ष.प./शा.मा.प. में बैठने हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी	के.ब.पु.स., रा .ए.जा. में .ब.सु.स कांस्टेबल और (ड्यू.सा) असम राइफल्स में राइफल मैन (ड्यू.सा) परीक्षा, 2021 शा.क्ष.प./शा.मा.प. में बैठने हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी	
म.क्षे.	955	6571	920	16456	70688	**95590**
पू.क्षे.	158	1437	158	1513	50205	**53471**
के.क.क्षे.	100	781	94	721	15921	**17617**
म.प्र.क्षे.	211	1312	232	3753	18911	**24419**
पूर्वो.क्षे.	158	364	69	81	23273	**23945**
उ.क्षे.	3048	14356	2860	40916	29483	**90663**
पश्चिमो.क्षे	226	1166	205	2292	14581	**18470**
द.क्षे.	135	1195	96	707	32882	**35015**
प.क्षे.	117	1045	120	1301	29256	**31839**
कुल	**5108**	**28227**	**4754**	**67740**	**285200**	**391029**

ग. दस्तावेज सत्यापन

8.3 अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले, अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता की यथार्थता का सत्यापन करने हेतु क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अर्हक अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन परीक्षा की विज्ञप्ति में यथा-अधिसूचित पात्रता मापदंड / शैक्षिक योग्यता को पूरा करने तथा उनके छद्मरूपण की जांच करने के लिए किया जाता है । दस्तावेज सत्यापन को दौरान अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभ्यर्थी वास्तव में उस श्रेणी का है जैसा कि आवेदन पत्र में दावा किया गया है, पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, मैट्रीकुलेशन और अन्य शैक्षिक योग्यता तथा भूतपूर्व सैनिक/ जाति/आ.क.व./ शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति प्रमाणपत्र (यदि कोई छूट ली गई / लागू हो) मूल रूप से प्रस्तुत करना होता है। अभ्यर्थी को, जहाँ कहीं भी विशेष रूप से अनिवार्य हो अनुभव प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है ।

8.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की प्रभावी जांच के लिए शुरू की गई बायोमेट्रिक पंजीकरण प्रणाली से परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले अभ्यर्थियों की उंगलियों के निशान और फोटो ली जाती है । आयोग दस्तावेज़ सत्यापन के समय भी अभ्यर्थियों की उंगलियों के निशान लेता है। इस प्रकार लिए गए उंगलियों के निशान आयोग को प्रतिरूपण के मामलों, यदि कोई है, का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं। आयोग अभ्यर्थियों की नियुक्ति के समय अभ्यर्थियों के प्रमाणीकरण की सुविधा हेतु उंगलियों के निशान डेटाबेस को प्रयोक्ता विभागों के अनुरोध पर उनके साथ साझा कर सकता है।

8.5 परीक्षा के विभिन्न चरणों में ली गई अभ्यर्थियों की फोटो को आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटो और दस्तावेज़ सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी के साथ सत्यापित किया जाता है।

8.6 अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर का रिकॉर्ड लेने के पश्चात दस्तावेज़ सत्यापन शीट ऑनलाइन भरी जाती है। दस्तावेज सत्यापन से पहले आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के डोजियर बनाए जाते हैं जिसमें अपेक्षित प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां अभ्यर्थियों के संबंधित डोजियरों में रखी जाती हैं।

8.7 दस्तावेज़ सत्यापन में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की भागीदारी अनिवार्य है। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेज़ सत्यापन में भाग लेने में विफल रहते हैं, अंतिम चयन के समय किसी भी पद के लिए उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाता है। अंतिम चयन के मामले में, सफल अभ्यर्थी के नामांकन के साथ-साथ इन दस्तावेजों (डोजियर) को मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों को भेजा जाता है। ।

अध्याय-IX
सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

9.1 आयोग में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं।

क. कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन और तंत्र

9.2 आयोग में उप निदेशक (राजभाषा) के प्रभार में पूर्ण हिन्दी अनुभाग है जिन्हें एक सहायक निदेशक (राजभाषा) तथा सहायक स्टॉफ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह अनुभाग राजभाषा विभाग की राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अतिरिक्त सरकारी रिकार्ड / पत्राचार से संबंधित अनुवाद कार्य भी कर रहा है। यह अनुभाग कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण भी करता है।

ख. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

9.3 आयोग में अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में राजभाषा अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए संगत नियमों के तहत कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती है। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों की सूचना सभी संबंधितों को दी जाती है तथा उन पर तदनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

ग. हिंदी में पत्राचार

9.4 आयोग ने अपने दैनन्दिन काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आयोग ने क, ख तथा ग क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और अभ्यर्थियों के साथ हिन्दी में पत्राचार की संख्या को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, हिंदी में मूल पत्राचार का प्रतिशत काफी बढ़ा है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत उल्लिखित दस्तावेजों जैसे संकल्प, अधिसूचनाएं, नोटिस, प्रेस विज्ञप्ति, नियम और विनियम इत्यादि द्विभाषी रूप से तैयार और जारी किए जाते हैं। परीक्षाओं की सभी विज्ञप्तिया हिंदी और अंग्रेजी (द्विभाषी) में जारी की जाती हैं। आयोग की वेबसाइट के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट को भी अंग्रेजी और हिंदी में प्रदर्शित किया जाता है।

घ. हिंदी में प्रशिक्षण

9.5 वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार आयोग के 140 अधिकारियों और कर्मचारियों में से, सभी 140 अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त / कार्यसाधक ज्ञान है। वर्तमान में आयोग (मु.) में 02 प्रधान निजी सचिव, 01 निजी सचिव और 04 आशुलिपिक ग्रेड 'घ' तैनात हैं और इनमें से 06 हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित है।

ङ हिंदी पखवाड़ा

9.6 आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने और अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए 14 सितम्बर, 2021 से 28 सितंबर, 2021 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान 06 प्रतियोगिताओं जैसे टंकण

परीक्षा, हिंदी कहानी लेखन, टिप्पण तथा आलेखन, हिंदी श्रुतलेखन, हिंदी निबंध लेखन और वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 74 प्रतिभागी थे, जिनमें 30 प्रतिभागियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कारों के रूप में नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कर्मचारी चयन आयोग के सदस्यों ने समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

च. क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़ा

9.7 यह ध्यान देने योग्य है कि आयोग के लगभग सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सितंबर, 2021 माह के दौरान हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। कुल मिलाकर 200 प्रतिभागी थे जिनमे से 135 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीतें।

छ. कार्यशाला/ प्रोत्साहन योजनाएँ

9.8 आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए ‘क’ ‘ख’ तथा ‘ग’ क्षेत्रों के लिए राजभाषा शील्ड क्रमशः क्षेत्रीय कार्यालय, (म.क्षे.) प्रयागराज; क्षेत्रीय कार्यालय, (पश्चिमो.क्षे.), चंडीगढ़ और क्षेत्रीय कार्यालय, (पूर्वो.क्षे.), गुवाहाटी को प्रदान की गई।

9.9 आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु दिनांक 02 अगस्त, 2021 और 18 नवंबर, 2021 को हिंदी प्रश्नोत्तर शैली में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिनांक 22.03.2022 को ‘सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी’ विषय पर भी एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

9.10 आयोग में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी काम-काज में मूल रूप से टिप्पण / प्रारूपण करने के लिए नकद पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2020-21 के लिए, पिछले वर्ष के दौरान सरकारी काम-काज मूल रूप से हिन्दी में करने की नकद प्रोत्साहन योजना के तहत नौ कार्मिकों को नकद पुरस्कार दिए गए।

9.11 आयोग में हिन्दी के प्रयोग में उत्कृष्ट निष्पादन को मान्यता देने के लिए, आयोग के गोपनीय-I/I अनुभाग को वर्ष 2020-21 के लिए 'राजभाषा चल शील्ड' से सम्मानित किया गया।

9.12 आयोग में हिंदी के प्रयोग में उत्कृष्ट निष्पादन को मान्यता देने के लिए आयोग को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए ‘राजभाषा शील्ड’ से सम्मानित किया गया है।

ज. राजभाषा निरीक्षण

9.13 राजभाषा नीति का यथोचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आयोग के दो क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात मध्य क्षेत्र (प्रयागराज) और दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नै) और आयोग (मु.) के तीन अनुभागों – स्थापना-I, स्थापना-II एवं सामान्य अनुभाग का वर्ष 2021-22 के दौरान निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित कार्यालयों/ अनुभागों को उचित दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-क

कर्मचारी चयन आयोग का गठन करने वाले
संकल्प का मूलपाठ
संख्या 46/1 (एस)/74.स्था.ख
भारत सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 04-नवंबर. 1975.

संकल्प

कार्मिक प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् भारत सरकार ने "अधीनस्थ सेवा आयोग की स्थापना" करने का निर्णय लिया है।

2. **अधीनस्थ सेवा आयोग का गठन**

यह आयोग कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय) का एक संलग्न कार्यालय होगा और इसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सचिव सह परीक्षा नियंत्रक होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे। आयोग को उतने सहायक कर्मचारी मुहैया करवाए जाएंगे जितने कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

3. **कार्य**

अधीनस्थ सेवा आयोग भारत सरकार के विभागों में और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी -III गैर तकनीकी पदों पर भर्ती करेगा, इसमें ऐसे पदों की भर्ती शामिल नहीं है जिनकी भर्ती रेलवे सेवा आयोग और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक एवं महालेखाकार और औद्योगिक स्थापनाओं के कार्यालयों में स्टाफ की भर्ती की जाती है। आयोग अन्य कार्यों के साथ अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले पदों पर भर्ती के लिए जब कभी अपेक्षित हो परीक्षाएं आयोजित करेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां तक संभव हो वास्तविक भर्ती क्षेत्रीय आधार पर की जाए ताकि विभिन्न क्षेत्र से योग्य अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्र में उत्पन्न रिक्तियों में आमेलन किया जा सके। जहां तक संभव होगा परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और सफल उम्मीदवारों को यथासंभव उनके ही राज्य/क्षेत्र में तैनात किया जाएगा।

आयोग विशेष रूप से

1. निम्नलिखित के संबंध में अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती हेतु लिपिक श्रेणी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करेगा।

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) श्रेणी-IV

(ii) रेलवे बोर्ड, सचिवालय लिपिकीय सेवा-श्रेणी-II

(iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (-)अवर श्रेणी ग्रेड
(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा (-)अवर श्रेणी ग्रेड
(v) संसदीय कार्य विभाग, दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक के पद
(vi) महानिदेशालय, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ में अवर श्रेणी लिपिक के पद
(vii) भारत सरकार के अन्य ऐसे विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा/ केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा अवर श्रेणी ग्रेड/ सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में शामिल नहीं हैं।

(2) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी-III में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करेगा।

(3) निम्नलिखित के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करेगा:

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक ग्रेड की चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए।
(ii) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड से उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए।
(iii) केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की श्रेणी- III से श्रेणी-II में पदोन्नति के लिए।

(4) अंग्रेजी तथा हिन्दी में तिमाही तथा मासिक टंकण परीक्षा का आयोजन करेगा।

(5) भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में संबंधित विभाग की सलाह पर श्रेणी-III गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए योजना तैयार करेगा।

(6) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अधीनस्थ सेवा और उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। गैर-तकनीकी श्रेणी-III के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा।

'अधीनस्थ सेवा' शब्द में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में स्वीकृत श्रेणी-III के वे सभी पद शामिल हैं, जिनकी भर्ती अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से की जानी है, परंतु रेलवे सेवा आयोग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा महालेखाकार का कार्यालय द्वारा किए जाने वाले पद इसमें शामिल नहीं होंगे।

तथापि, अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा भर्ती से संबंधित कार्य को सुगमता से संभालने की सुविधा का ध्यान में रखते हुए, पहले चरण में आयोग सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान के परीक्षा स्कंध के वर्तमान कार्य का भार संभालेगा। दूसरे चरण में, आयोग दिल्ली में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों और विभागों में श्रेणी-III गैर तकनीकी पदों की भर्ती करेगा, इसमें ऐसे पद शामिल नहीं होंगे जिनकी भर्ती रेलवे सेवा आयोग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और महालेखाकार के कार्यालय और औद्योगिक

स्थापनाओं में स्टाफ की भर्ती से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से की जाती है। इसके बाद के चरणों में आयोग दिल्ली से बाहर स्थित अधीनस्थ और अन्य कार्यालय में श्रेणी-III के गैर-तकनीकी पदों की भर्ती संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से करेगा, परंतु इसमें ऐसे पदों की भर्ती शामिल नहीं है जिनकी भर्ती रेलवे सेवा आयोग द्वारा की जाती है और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक एवं महालेखाकार और औद्योगिक स्थापनाओं के कार्यालयों में स्टाफ की भर्ती की जाती है।

4. अध्यक्ष एवं सदस्य के कार्य एवं जिम्मेदारियां

अध्यक्ष:

कर्मचारी चयन आयोग के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते अध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगाः

(1) विभागों से श्रेणी -III गैर तकनीकी पदों की संख्या के बारे में पता लगाना जिसके लिए समय-समय पर भर्ती की जानी है।
(2) विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदनों को आमंत्रित करना।
(3) विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदनों की संवीक्षा करना।
(4) प्रतियोगी परीक्षाओं अथवा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार द्वारा अभ्यर्थियों का चयन करना।
(5) चयनित अभ्यर्थियों के नामों को संबंधित विभाग को भेजना।
(6) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि संस्तुत करने में विभाग अनु.जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भर्ती के संबंध में अपने दायित्यों का निर्वाह करने में समर्थ होंगे।
(7) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किए गए नियुक्तियों का रिकॉर्ड रखना।
(8) कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रस्तुत करना।
(9) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उसे सौंपे जाएं।

सदस्य:

सदस्य निम्नलिखत कार्य करेंगे:-

(1) जहां कहीं आवश्य हो, परीक्षाओं और अभ्यर्थियों से साक्षात्कारों के आयोजन में अध्यक्ष की सहायता करेंगें।
(2) अन्य ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन, जो अध्यक्ष द्वारा उनको सौंपे जाएं।

5. शक्तियों का प्रत्यायोजन

अधीनस्थ सेवा आयोग का अध्यक्ष 'विभागाध्यक्ष' तथा "कार्यालय अध्यक्ष" के सचिव की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।

6. <u>कार्यालय की अवस्थिति</u>

अधीनस्थ सेवा आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित होगा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय बाम्बे कोलकाता मद्रास तथा इलाहाबाद जैसे अन्य स्थानों पर जहां वह आवश्यक समझता है खोले जा सकते हैं।

7. आयोग की स्थापना करने और आयोग की कार्य संचालन पर हुए व्यय को पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि आयोग, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क लगा करके परीक्षाओं को भलीभांति आयोजित करने के उद्देश्य से निधियां एकत्र करने का अधिकार है। ऐसे परीक्षा शुल्क का ब्यौरा भारत सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा नियत किया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को दी जाए तथा यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह./-
(पी.एस. महादेवन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दिनांक, 04,नवंबर. 75

सं-46/1(एस)/74-स्था(ख)

प्रतिलिपि अग्रेषितः-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग
2. सभी राज्य सरकारें/ संघ शासित क्षेत्र
3. प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, उच्चतम न्यायालय; संघ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नियंत्रक एव महालेखा परीक्षा, अजा. और अ.ज.जा. आयुक्त, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त, सभी आंचलिक परिषद; चुनाव आयोग
4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी संबंधित/अधीनस्थ कार्यालय
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा ए. आर. स्कन्ध के सीएस-I/ सीएस-II/आईईएस /आईएसएस/एवीडी-I/एवीडी-II/एवीडी-III/एवीडी-IV/एआईएसआई/एड.I अनुभाग
6. निदेशक(परीक्षा स्कन्ध) आई.एस.टी.सी.

ह./-
(आर.सी.गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी :

i) 26.9.1977 से अधीनस्थ सेवा आयोग का कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामकरण किया गया।

ii) जो क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी थे, उन्हें परीक्षा नियंत्रक कहा जाता था। उनको बाद में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया।

iii) मूल संशोधन सं .46 (1-(एस ((74-स्था (ख) दिनांक .04.11.1975 को अब तक छः बार संशोधित किया गया है।

(क) संकल्प संख्या 24012/42/78-स्था. (ख) दिनांक 17.3.79

(ख) संकल्प संख्या 24012/31/85-स्था. (ख) दिनांक 7.9.89

(ग) संकल्प संख्या 39018/1/98-स्था. (ख) दिनांक 21.5.1999

(घ) संकल्प संख्या 24012/8-ए/2003-स्था. (ख) दिनांक 13.11.2003

(ड.) संकल्प संख्या 24012/8-ए/2003-स्था.(ख) दिनांक 29.9.2005

(च) संकल्प संख्या 39018/01/1998-स्था.(ख) खंड-।। दिनांक 14.01.2011

सं-39036/37/76-स्था.(ख)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, 26 सितंबर, 1977.

संकल्प

दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था.(ख) में आंशिक संशोधन करते हुए अधीनस्थ सेवा आयोग का नाम बदलकर "कर्मचारी चयन आयोग" करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को दी जाए तथा यह संकल्प भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

(हस्ताक्षर/-)
(के.डी. मदान)
संयुक्त सचिव , भारत सरकार

नई दिल्ली, 26 सितंबर, 1977

सं-39036/37/76-स्था(ख)

प्रतिलिपि :-

1 से 3 XXXXXXX
4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी संबंधित/अधीनस्थ कार्यालय
5. XXXXXXX
6. निदेशक परीक्षा कार्य आई.एस.टी.एम.

सं-39018/1/98-स्था।(ख)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 21 मई, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषयः संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

1. पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने रिपोर्ट के अध्याय-17 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यभार में कमी करने की सिफारिश की है जिससे आयोग ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दे सके और इस संदर्भ में कतिपय विशेष सुझाव दिए हैं। इससे पूर्व गृह मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज पर 1994 में प्रस्तुत अपनी बीसवीं रिपोर्ट में सरकार से कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने को कहा है जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से समाप्त किया जा सके ताकि उनका कार्यभार कम हो सके। विगत समय में आयोग ने भी सरकार पर संगत भर्ती नियमों में संशोधन करने हेतु दबाव डाला था ताकि समूह ’ख’ अराजपत्रित पदों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग से इतर अभिकरणों द्वारा की जा सके।

2. इस परिप्रेक्ष्य में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनिमय, 1958 के उपबंधों एवं अन्य संगत आदेशों की समीक्षा की गयी ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से समाप्त किया जा सके। ऐसी समीक्षा के आधार पर, सक्षम, प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया किः

(क) ऐसी समूह 'ख' सेवा या पदों पर सीधी भर्ती करते समय, जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा10,500/-रुपये से कम है, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसे पदों पर सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 'क' और 'ख' सेवा या पदों के लिए सीधे भर्ती किए गए किसी व्यक्ति समूह 'क' या समूह 'ख' सेवा या पद पर मूल नियुक्ति या स्थायीकरण हेतु विभागीय-प्रोन्नति समिति के कार्यवृत की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुनरीक्षण की प्रक्रिया समाप्त की जाएगी।

(ग) समूह 'क' सेवा या पद वाले किसी अधिकारी की चयन-सह-वरिष्ठता पर किसी समूह 'क' सेवा या पद पर पदोन्नति करते समय, जिसके वेतनमान की अधिकतम सीमा 16,500/-रुपये से कम है, संघ लोक सेवा आयोग को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, समूह 'ख' अधिकारी समूह 'क' के निम्नतम पद पर पदोन्नत करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

3. उपर्युक्त निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भर्ती नियमों के संगत उपबंधों में संशोधन करने हेतु विस्तृत (अम्ब्रेला) अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उक्त अधिसूचना की प्रति सूचनार्थ संलग्न है।

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 एवं कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों को निर्धारित करने वाले दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प के संशोधन भी साथ-साथ जारी किए जा रहे हैं।

4. भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संदर्भ में इसे भारत के नियंत्रक सेवा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किया जाता है।

ह. /-
निदेशक

सेवा में,

मानक सूची के अनुसार सभी मंत्रालय/विभाग
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)
सं.39018/1/98-स्था.(ख)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 21 मई, 1999

संकल्प

सं. 39018/1/98-स्था.(ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवंबर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1/(एस)/74-स्था. (ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-।।। (अब समूह ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से एक आयोग का गठन किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है और यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग से समूह 'ख' के सभी पदों पर भर्ती संबंधी कामकाज अपने हाथ में ले लेगा जिनके वेतनमान अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो। तदनुसार, राधेश्याम बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 1 जून, 1999 से कर्मचारी चयन आयोग का गठन और कार्य निम्नानुसार होगाः-

1. कर्मचारी चयन आयोग का गठन

(i) भारत सरकार के पूववर्ती कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था (ख) का अतिक्रमण करते हुए और अधिक्रमण से पहले की गई संबंधित बातों अथवा ऐसी बातों जिन्हें किया जाना छोड़ दिया गया के सिवाय, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के नाम से एक आयोग स्थापित करती है जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय होगा और इसमें एक अध्यक्ष, दो सदस्य और एक सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए नियम और शर्तों के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे।

(ii) आयोग को उतने सहायक कर्मचारी मुहैया करवाए जाएंगे जितने कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

2. कार्य

(1) कर्मचारी चयन आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ख' के उन सभी पदों, जिनके वेतनमानों का अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो, और (ii) भारत सरकार

के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में गैर-तकनीकी समूह 'ग' के उन पदों को छोड़कर जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हों, सभी पदों पर भर्ती करेगा।

(ख) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले पदों पर भर्ती करने के लिए परीक्षाएं और/अथवा जब कभी अपेक्षित हों, साक्षात्कार आयोजित करेगा। जहां तक संभव होगा, परीक्षाएं विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी और सफल उम्मीदवारों को यथासंभव उनके ही राज्य/क्षेत्र में तैनात किया जाएगा।

आयोग विशेषतः

(क) निम्नलिखित की भर्ती के संबंध में प्रतियोगी परीक्षाएं संचालित करेगाः-

(i) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख)/ रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में भाग ले रहे कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती।

(ii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'घ' आशुलिपिक के पदों और भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बार्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में समतुल्य ग्रेडों में तथा उपर्युक्त सेवाओं में भाग ले रहे भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित अन्य विभागों में आशुलिपिकों के पदों पर भर्ती।

(iii) भारत सरकार के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों समेत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भाग ले रहे कार्यालयों में सहायकों के पदों पर भर्ती।

(iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के विभिन्न समाहर्त्तालयों (कलेक्टरेटों) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक, आयकर आयुक्तों के विभिन्न प्रभारों के अन्तर्गत आयकर निरीक्षक, विभिन्न सीमा शुल्क, कार्यालयों में निवारक अधिकारी और परीक्षक, प्रवर्तन निदेशालय में सहायक प्रवर्तन अधिकारी, दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवाओं के ग्रेड-।। पदों पर भर्ती।

(v) दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय पुलिस संगठनों में उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती

(vi) भारत के नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक के कार्यालय में अन्य लेखा विभागों के अन्तर्गत प्रभागीय, लेखाकार, लेखापरीक्षक और लेखाकार तथा भारत सरकार के संबद्ध और कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों पर भर्ती।

(ख) निम्नलिखित के लिए विभागीय परीक्षाएं आयोजित करेगाः-

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में समूह 'घ' के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में और भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में समतुल्य ग्रेडों में पदोन्नति।

(ii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड से उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में और भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेव/सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में समतुल्य ग्रेडों में पदोन्नति।

(iii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'घ' आशुलिपिक से आशुलिपिक ग्रेड 'ग' में और भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में समतुल्य ग्रेडों में पदोन्नति।

(ग) अंग्रेजी एवं हिन्दी में आवधिक टंकण परीक्षा का संचालन।

(घ) समूह 'ख' के उन सभी पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो, तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा इनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में संबंधित विभागों के साथ परामर्श करके समूह 'ग' के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए योजनाएं तैयार करना।

(ड) समूह 'ख' के उन सभी पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो, तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा इनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ग'के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट परीक्षाएं/चयन संचालित करना।

(च) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करना।

3. अध्यक्ष एवं सदस्यों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व

(क) अध्यक्ष-

अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के प्रशासनिक प्रधान होने के नाते निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगेः

(1) समूह 'ख' वे पद जिनका अधिकतम वेतनमान 10,500/- रुपये से कम हो तथा समूह 'ग' के सभी गैर-तकनीकी पद जिन पर भर्ती की जानी हैं, की रिक्तियां जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं, की संख्या के बारे में विभागों से पता लगाना, प्रतियोगी परीक्षाओं/साक्षात्कार के माध्यम से उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करना, सूचित की गई रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए चयन किए गए अभ्यर्थियों को अनुशंसित करना और की गई नियुक्ति का रिकार्ड रखना।

(2) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(3) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करना।

(ख) सदस्य:

सदस्य द्वाराः

1) जहां कहीं आवश्यक हो अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के आयोजन में अध्यक्ष की सहायता की जाएगी।
2) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन किया जाएगा जो उन्हें अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं।

4. शक्तियों का प्रत्यायोजन:- कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए, अध्यक्ष 'विभागाध्यक्ष' और सचिव 'कार्यालयाध्यक्ष' के रूप में सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

5. कार्यालय का स्थान:- कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। वर्तमान में कार्यरत आयोग के क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान परिशिष्ट-। में दिया गया है। आयोग ऐसे अन्य स्थानों, जहां वह आवश्यक समझे, पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से और भी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकता है।

6. आयोग के किसी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने और आयोग के कामकाज में होने वाला सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, आयोग को अधिकार है कि वह विभिन्न परीक्षाओं/चयन के आयोजनों के लिए अभ्यर्थियों से शुल्क एकत्रित करे। आयोग द्वारा भारत सरकार के परामर्श से ऐसे शुल्क के संबंध में ब्यौरा निर्धारित किया जाएगा।

श्रीमती भवानी त्यागराजन
निदेशक

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को दी जाए तथा यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह./-
निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी , रिंग रोड,नई दिल्ली

सं. 39018/1/98-स्था.(ख) नई दिल्ली 21मई,1999

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/लोकसभा, राज्यसभा सचिवालय/ उच्चतम न्यायालय/ केन्द्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/अ.जा./अ.ज.जा. आयुक्त/भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त/सभी आंचलिक परिषद/चुनाव आयोग/सभी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण।
4. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
5. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
6. सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय एवं कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अनुभाग।

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 13 नवम्बर , 2003

संकल्प

सं 24012/8क/2003-स्था. (ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था. (ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के रूप के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है और राधेश्याम बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) के तहत भी 1 जून, 1999 से संशोधन किया गया।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थातः-

(क) दिनांक 21.5.1999 के संकल्प के पैरा 2(1) में उप-पैरा (ख) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा अर्थात :-

"(ग) अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक/लेखा परीक्षा) के पद पर और 6500-10500/- रुपये के वेतनमान वाले सभी अराजपत्रित पदों पर भी भर्ती करना।''

ह./-

निदेशक

पाद-टिप्पणी :- मुख्य संकल्प दिनांक 24 मई, 1999 के असाधारण राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में सं. 39019/1/98-स्था. (ख) के तहत प्रकाशित किया गया।

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 29 सितम्बर , 2005

संकल्प

सं 24012/8-क/2003-स्था. (ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था. (ख) दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-।।। (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है और राधेश्याम बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) के तहत भी 1 जून, 1999 से संशोधन किया गया।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थातः-

ख) दिनांक 21.5.1999 के संकल्प और जिसमें दिनांक 13.11.2003 के तहत संशोधन किया गया है, के पैरा 2(1) में उप-पैरा (ख) के पश्चात् विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा अर्थातः

"(ग) 6500-10,500/- रुपये के वेतनमान वाले सभी अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करना।''

ह./-

(श्रीमती शुभा ठाकुर)

अवर सचिव, भारत सरकार

<u>पाद टिप्पणी</u> : मुख्य संकल्प दिनांक 24 मई, 1999 के असाधारण राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में सं. 39018/1/98-स्था. (ख) के तहत प्रकाशित किया गया था और दिनांक 22.11.2003 के सं. 24012/8-क/2003-स्था.(ख) के तहत संशोधित किया गया था।

सं. 24012/8-क/2003-स्था.(ख) दिनांक 29 सितम्बर, 2005

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली

प्रतिलिपि अग्रेषित :

क. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

ख. विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

ग. विधायी विभाग, (रा.भा.स्कंध), भगवान दास रोड, नई दिल्ली।

घ. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर, हाउस, नई दिल्ली।

ड. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली।

च. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के सभी अनुभाग/अधिकारी

छ. वेबसाइट कक्ष, रा.सू.के., कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

ज. सुविधा केन्द्र, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। 20 अतिरिक्त प्रतियां।

झ. गार्ड फाइल।

ञ 50 अतिरिक्त प्रतियां।

ह./-

(श्रीमती शुभा ठाकुर)

अवर सचिव, भारत सरकार

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 14 जनवरी , 2011

संकल्प

सं. 39018/1/1998-स्था. (ख)-खंड-II-भारत सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अपने दिनांक 4 नवंबर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1/(एस)/74-स्था. (ख) के तहत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न श्रेणी-III (अब समूह 'ग') गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती करने के लिए अधीनस्थ सेवा आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। आयोग के कार्य 6500-10500/-रूपए के वेतनमान वाले समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती को शामिल करने के लिए समय-समय पर बढ़ाए गए थे। दिनांक 1.1.2006 से वेतनमान में संशोधन और सरकार के अधीन सभी सिविल पदों का पुनर्वर्गीकरण होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 9 अप्रैल, 2009 के आदेश संख्या एस.ओ.946(ड.) के तहत आयोग के कार्य और भूमिका को पुनर्परिभाषित करना आवश्यक हो गया है। अतः दिनांक 4 नवंबर, 1975 के संकल्प संख्या 46/(एस)/74 स्था. (ख) और इस विषय पर उसके उत्तरवर्ती संकल्पों के अधिक्रमण में, कर्मचारी चयन आयोग का गठन और कार्य तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित प्रकार से होगाः-

1. कर्मचारी चयन आयोग का गठन

(i) ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई संबंधित बातों अथवा ऐसी बातें जिन्हें किया जाना छोड़ दिया गया हो, के सिवाय, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के नाम से एक आयोग स्थापित करती है जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। आयोग को एक सचिवालय द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी जिसकी अध्यक्षता एक सचिव, जो परीक्षा नियंत्रक भी होगा, द्वारा की जाएगी तथा अन्य सहयोगी अधिकारी व कर्मचारी भी, जैसा केन्द्रीय सरकार समय समय पर आवश्यक समझे, उनका सहयोग करेगी।

(ii) यह आयोग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय होगा और सरकार के दिशा-निर्देशों, सलाह और नीतियों के अध्यधीन कार्य करेगा।

2. कार्य

कर्मचारी चयन आयोग :-

(क) (i) भारत सरकार और उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के वेतन बैंड-I और वेतन बैंड-2 के 4600 रू. तक के ग्रेड वेतन वाले समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों के, उन पदों को छोड़कर जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हों, सभी पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती करेगा।

(ii) रू. 4600/-तक के ग्रेड वेतन वाले वेतन बैंड-2 एवं वेतन बैंड-1 मे भारत सरकार के ऐसे पदों, जिनके लिए आयोग के विवेक पर पहले शॉर्टलिस्ट कर दिया गया हो या कौशल परीक्षण ले लिया गया हो, साक्षात्कारों के जरिए चयन द्वारा भर्ती करेगा।

(iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय/आशुलिपिकीय सेवाओं या इस प्रकार की अन्य सेवाओं, जो आयोग को सौंपी गई हैं अथवा सौंपी जा सकती हैं, के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करेगा।

(iv) अंग्रेजी/हिंदी में आवधिक कौशल परीक्षण और अन्य ऐसे कौशल परीक्षण, जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, संचालित करेगा।

(ख) **अन्य ऐसे कार्य करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इसको सौंपे जाएंगे।**

3. अध्यक्ष एवं सदस्यों की शक्तियां, कार्य एवं जिम्मेदारियां

(क) अध्यक्ष

कर्मचारी चयन आयोग के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते अध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगाः-

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षित रिक्तियों सहित पदों की प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों को निर्धारित करना, जिसके लिए आयोग को भर्ती करने, प्रतियोगी परीक्षाओं/साक्षात्कारों के जरिए समुचित अभ्यर्थियों का चयन करने, सूचित रिक्तियों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों की अनुशंसा करने तथा की गई नियुक्ति का अभिलेख रखने का अधिदेश है।

(ii) आयोग के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत करना।

(iii) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(ख) सदस्य

सदस्य निम्नलिखित कार्य करेंगे

(i) जहां कहीं आवश्यक हो परीक्षाओं और अभ्यर्थियों के साक्षात्कारों के आयोजन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे।

(ii) अन्य ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन, जो अध्यक्ष द्वारा उनको सौंपे जाएं।

4. शक्तियों का प्रत्यायोजन

आयोग के कार्यों का निर्वहन करने में, अध्यक्ष 'विभागाध्यक्ष' की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा आयोग में एक या अधिक अधिकारियों को कार्यालयाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा।

5. कार्यालय की अवस्थिति

कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में, आयोग के प्रवर्ती क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों जो पहले से वहां कार्य कर रहे हैं के साथ होगा। आयोग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से आवश्यक होने पर केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अन्य स्थानों पर आयोग के और भी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकता है।

6. आयोग के किसी भी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने और आयोग की कार्यप्रणाली पर हुए व्यय को पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आयोग विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के लिए अभ्यर्थियों से उतना शुल्क वसूल करेगा, जितना कि भारत सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा नियत किया जाए।

ह./-

(सुश्री ममता कुन्द्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को संप्रेषित की जाए और यह भी कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह./-

(सुश्री ममता कुन्द्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 24 जुलाई , 2012

संकल्प

सं. 24012/29/2011-स्था. (ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था. (ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के रूप के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 14.1.2011 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) के तहत आगे संशोधन किया गया।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 14.1.2011 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) खंड II में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थात् :-

(क) दिनांक 14.1.2011 के संकल्प के पैरा 2क में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा अर्थात :-

पैरा 2क (i) भारत सरकार और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के वेतन बैण्ड-1 और वेतन बैण्ड 2 के 4800/- रू तक के ग्रेड वेतन वाले समूह (ख) अराजपत्रित और समूह (ग) (गैर तकनीकी) पदों के, उन पदों को छोड़कर जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हों, सभी पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती करेगा।

(ख) दिनांक 14.1.2011 के संकल्प के पैरा 2 क (ii) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा अर्थात-

पैरा 2क (ii) रूपए 4800/- तक के ग्रेड वेतन वाले वेतन बैण्ड-2 एवं वेतन बैण्ड-1 में भारत सरकार के अधीन ऐसे अराजपत्रित पदों, जिनके लिए आयोग के विवेक पर पहले शार्टलिस्ट कर दिया गया हो या कौशल परीक्षण ले लिया गया हो, साक्षात्कारों के जरिए चयन द्वारा भर्ती करेगा।

ह./-

(यू.एस. चट्टोपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी :- मुख्य संकल्प दिनांक 17 जनवरी, 2011 के असाधारण राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में सं. 39018/1/98-स्था. (ख) के तहत प्रकाशित किया गया।

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय
मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
कार्मिक , लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय
(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2016

संख्या 39018/01/2012-स्था (ख) ....भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 04 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था(ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के रूप के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 14.01.2011 के खण्ड II के संकल्प सं 39018/1/98- स्था.(ख) तथा दिनांक 24.07.2012 के संकल्प संख्या 24012/29/2011-स्था (ख) के तहत आगे संशोधन किया गया।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 24.07.2012 के संकल्प संख्या 24012/29/2011-स्था (ख) के साथ पढ़े गए दिनांक 14.01.2011 के संकल्प संख्या 39018/1/98-स्था.(ख) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थातः-
दिनांक 14.01.2011 के संकल्प के पैरा 2 क में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा अर्थातः-

"पैरा 2 क (V)" भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी की पद पर वेतन बैंड 2, रू. 9300-34800 तथा ग्रेड वेतन 4800/- रू. में समूह 'ख' (राजपत्रित) की सीधी भर्ती करेगा।

ह./ -
(डॉ देवेश चतुर्वेदी)
संयुक्त सचिव ,भारत सरकार

टिप्पणी: - मुख्य संकल्प दिनांक 17 जनवरी, 2011 के असाधारण राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में सं 39018/01/ 98-स्था. (ख) के तहत प्रकाशित किया गया।

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,मायापुरी, नई दिल्ली।

सं 39018/01/2012-स्था.(ख) दिनांक: 17.02.2016

अग्रेषित प्रतिलिपि: -

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग
2. सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, ढोलपुर हाउस, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी कार्यालय परिसर, नई दिल्ली।
5. स्था (आरआर) डेस्क, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्लीको इस अनुरोध के साथ कि इस सरकारी संकल्प को "राजपत्र अधिसूचना" शीर्षक के रूप में इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. गार्ड फाइल
8. 10 अतिरिक्त प्रतियां।

ह. / -
(मुकेश कुमार)
अवर सचिव,भारत सरकार

परिशिष्ट-ख

तत्काल

संख्या 39020/05/2017-स्था (ख)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
27 जनवरी, 2021

सेवा में,

अध्यक्ष,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं.-12, केंद्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय: कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से स्वायत्त / सांविधिक निकायों में विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों के नामांकन के संबंध में।

महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर कर्मचारी चयन आयोग के दिनांक 05.01.2021 के पत्र संख्या 4-16/2017-नी. एवं यो.-I का उल्लेख करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग में कर्मचारी चयन आयोग के प्रस्ताव की जांच की गई है। सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 14.01.2011 के संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कर्मचारी चयन आयोग को एनएचआरसी (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत गठित), एनसीएससी(संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत गठित), एनसीएसटी(संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत गठित), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग(एनसीएम अधिनियम, 1992 के तहत गठित) सहित संवैधानिक / सांविधिक निकायों आदि में समूह ख (अराजपत्रित) और समूह ग के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी लेने का निदेश दिया है, कर्मचारी चयन आयोग को ऐसे समान/सदृश पदों के लिए जिनमें शैक्षिक योग्यता समान है और सेवा के नियम व शर्तें, पदों का वर्गीकरण, वेतन संरचना आदि केंद्र सरकार के समान हैं, ऐसे पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को एक अलग परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता के बिना, कर्मचारी चयन आयोग की किसी भी मौजूदा अनिवार्य परीक्षा के माध्यम से की जा सकती है।

2. जहां तक स्वायत्त निकायों में भर्ती का संबंध है, वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016, 19.07.2017 और 21.12.2020 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसरण में एनसीएस पोर्टल पर भर्ती एजेंसियों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की सूची का उपयोग कर सकते हैं।

3. आयोग से अनुरोध है कि इस मामले में लिए गए निर्णय को तदनुसार अनुपालन के लिए नोट करें।

भवदीय,

(राजबीर सिंह)
अवर सचिव,भारत सरकार
टेली. नं.- 23093175

संख्या 39020/05/2017-स्था (ख)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
8 जुलाई, 2021

सेवा में,

अध्यक्ष,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं.-12, केंद्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।

विषय:- लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' पदों (संघ राज्य क्षेत्र / मंडलीय संवर्ग) पर भर्ती हेतु अभिकरण/बोर्ड की व्यवस्था के संबंध में।

महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर कर्मचारी चयन आयोग के दिनांक 06.07.2021 के पत्र सं. 4-16/2017- नी. एवं यो.-I का उल्लेख करने का और दिनांक 14.01.2011 के संकल्प संख्या 39018/01/1998-स्था के पैरा 2 (ख) - खंड .II के तहत केंद्र सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में रिक्त समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने का कार्य कर्मचारी चयन आयोगको सौंपा गया है। जहां तक रूपात्मकता / क्रियाविधि को विकसित करने की आवश्यकता का प्रश्न है, इसे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा गृह मंत्रालय/लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के साथ सुलझाया जा सकता है।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(राजबीर सिंह)
अवर सचिव,भारत सरकार
टेली. नं. 23093175

परिशिष्ट - ग

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग का संगठनात्मक ढांचा

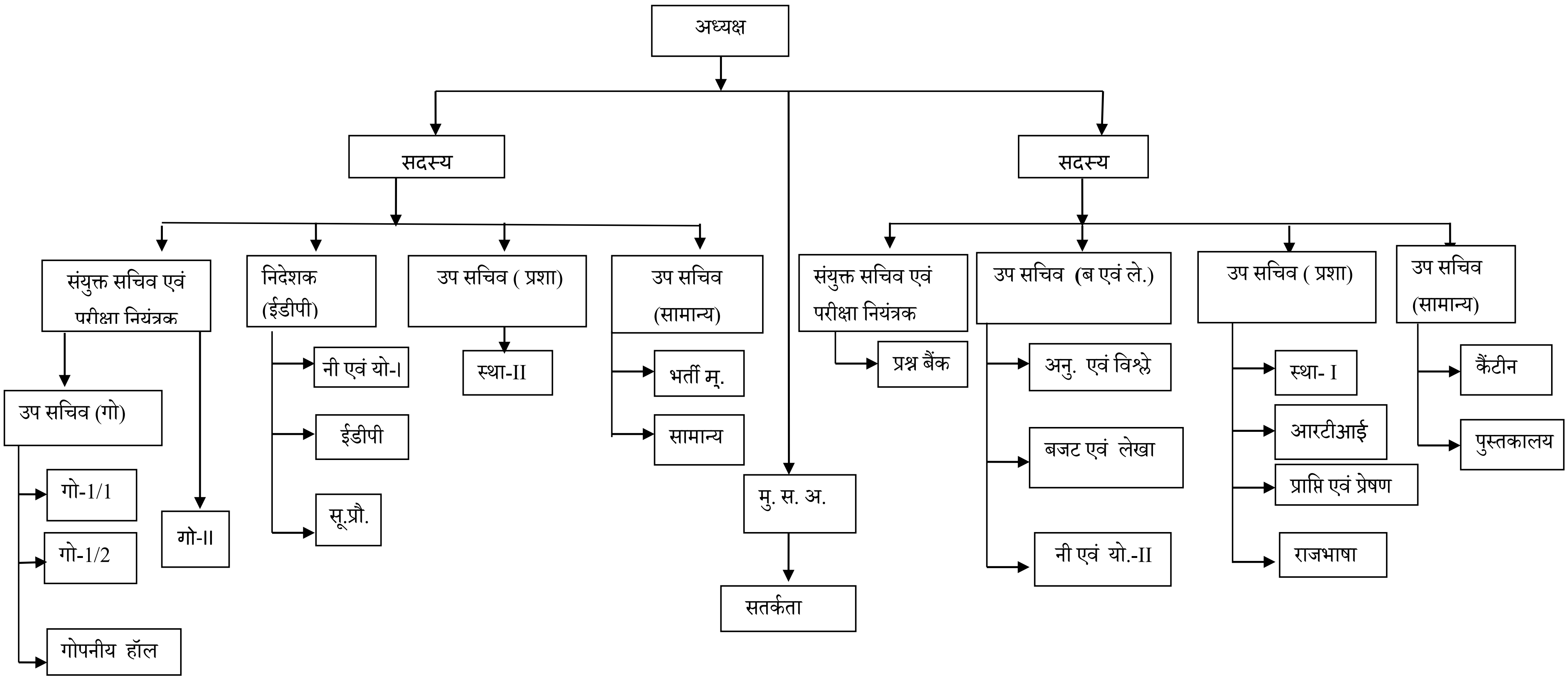

परिशिष्ट -ग 1

कर्मचारी चयन आयोग

मुख्यालय कार्यालय

क)	अध्यक्ष	श्री एस. किशोर
	सदस्य	श्री राजीव श्रीवास्तवा
	सदस्य	श्री अशोक कुमार

ख) **क्षेत्रीय कार्यालय**	**(क्षेत्रीय निदेशक)**
मध्य क्षेत्र	श्री राहुल कुमार सचान
पूर्वी क्षेत्र	श्रीमती प्रियंका बासु इंग्टी
केरल कर्नाटक क्षेत्र	श्री एस.एन. गिरीश
उत्तरी क्षेत्र	श्री एम एस श्रवणन
पूर्वोत्तर क्षेत्र	श्री नाचान जिमिक
दक्षिण क्षेत्र	श्री के. नागराज
पश्चिमी क्षेत्र	डॉ (श्रीमती) वाणी आनंद सिंह

उप-क्षेत्रीय कार्यालय

मध्य प्रदेश क्षेत्र	श्री ए. के. बवालिया *
पश्चिमोत्तर क्षेत्र	श्रीमती अल्का सोनी

* अतिरिक्त प्रभार

परिशिष्ट – ग -II

कर्मचारी चयन आयोग के माननीय अध्यक्षों की सूची
(01.07.1976 से)

क्रम सं.	नाम	से	तक
1.	श्री सईद हामिद	01.07.1976	16.06.1980
2.	श्रीमती इंद्रजीत कौर	10.07.1980	10.07.1985
3.	श्री एस.सी.मित्तल	23.07.1985	23.07.1990
4.	श्री एस.एन. बाज्पे	23.07.1990	12.07.1994
5.	श्री बी.शंकरन	28.11.1994	09.11.1998
6.	श्री के.एम.लाल	11.01.1999	21.06.2002
7.	श्री बी.के.मिश्रा	24.06.2002	19.10.2004
8.	श्री प्रकाश चन्दर*	20.12.2004	23.11.2005
9.	श्री आई.एम.जी खान**	28.11.2005	12.01.2006
10	श्री ब्रह्म दत्त**	13.01.2006	30.10.2006
11.	डॉ (श्रीमती) सी.टी.मिश्रा	30.10.2006	27.10.2008
12.	श्रीमती विभा पुरी दास**	29.10.2008	23.04.2009
13.	श्री एन.के.रधुपति	24.04.2009	02.03.2013
14.	श्री अमिताभ भट्टाचार्य	20.03.2013	02.12.2015
15.	श्री अशीम खुराना	09.12.2015	30.09.2019
16.	श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी**	04.10.2019	23.10.2019
17.	श्री ब्रज राज शर्मा	24.10.2019	01.05.2020
18.	श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी**	23.05.2020	30.06.2021
19.	श्रीमती दीप्ति उमाशंकर	01.07.2021	10.02.2022
20.	श्री एस. किशोर	11.02.2022	अभी तक

* कार्यकारी अध्यक्ष

** अतिरिक्त प्रभार

परिशिष्ट - ग -III

कर्मचारी चयन आयोग के माननीय सदस्यों की सूची
(01.07.1976 से)

क्रम सं	नाम	से	तक
1.	श्री एच.एन. त्रिवेदी	01.11.1976	31.12.1979
2.	श्री अमर सिंह	07.01.1980	19.12.1982
3.	श्री बी.आर.आर. अयंगर	08.03.1983	07.03.1988
4.	श्री एन.के अग्रवाल	17.07.1986	16.07.1991
5.	श्री एस.एन.बाज्पे	11.01.1989	22.07.1990
6.	श्री ए.जयरमन	10.10.1990	09.10.1995
7.	श्री ए.के. सिंघल	01.12.1991	11.01.1993
8.	श्री गुरबचन सिंह	05.01.1996	04.01.2001
9.	श्री एस.एस.रॉय	16.03.1998	04.08.1998
10.	श्री डी.एस.मुखोपाध्याय	25.02.1999	15.11.2000
11.	श्री आर.के. टंडन	30.03.2001	24.01.2004
12.	श्री प्रकाश चन्द्र	16.08.2001	15.08.2006
13	श्रीमती प्रतिभा मोहन	08.10.2004	07.10.2009
14.	श्री वी.कण्णन	05.05.2008	20.07.2011
15.	श्री एस.के. लोहनी	12.10.2009	11.10.2010
16.	डॉ.देव दत्त शर्मा	25.01.2012	06.03.2014
17.	श्री संजय विक्रम सिंह	20.06.2011	19.06.2016
18.	श्री सी.पी.जैन	07.03.2014	15.12.2016
19.	श्री मनोज कुमार पांडे	15.07.2016	15.03.2019
20.	श्री संजय वर्मा	21.06.2018	17.06.2019
21.	श्री राजीव श्रीवास्तवा	01.07.2019	अब तक
22.	श्री अशोक कुमार	01.10.2020	अब तक

परिशिष्ट – घ

विभिन्न पदों के नाम / वेतन स्तर

क्रम सं	**पद का नाम**	**वेतन स्तर (7 वे कें.वे.आ. की रिपोर्ट के अनुसार)**
1.	अध्यक्ष	स्तर-17 / 15
2.	सदस्य	स्तर -14
3.	सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक	स्तर -13
4.	निदेशक	स्तर 13
5.	उप सचिव	स्तर -12
6.	क्षेत्रीय निदेशक	स्तर -12
7.	अवर सचिव /उप निदेशक	स्तर -11
8.	प्रधान निजी सचिव	स्तर -11
9.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	स्तर -10
10.	लेखा अधिकारी	स्तर -8
11.	प्रोग्रामर	स्तर -7
12.	अनुभाग अधिकारी /सहायक निदेशक	स्तर -8
13.	निजी सचिव /आशुलिपिक श्रेणी क+ ख	स्तर -8
14.	डेटा प्रोसेसिंग सहायक (श्रेणी-ख)	स्तर -7
15.	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	स्तर -7
16.	सहायक अनुभाग अधिकारी	स्तर -7
17.	आशुलिपिक श्रेणी "ग"	स्तर -7
18.	लेखाकार	स्तर
19.	अनुसंधान सहायक श्रेणी-I	स्तर -6

20.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	स्तर -6
21.	डेटा प्रोसेसिंग सहायक (श्रेणी-क)	स्तर -6
22.	डीईओ (श्रेणी "ग") /प्रबंधक (कैंटीन)	स्तर -6
23.	अनुसंधान सहायक श्रेणी-II	स्तर -5
24.	पुस्तकालय श्रेणी-II	स्तर -5
25.	डीईओ (श्रेणी "ख")	स्तर -5
26.	केयरटेकर	स्तर -5
27.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक./आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	स्तर -4
28.	डीईओ (श्रेणी "क") /सहायक प्रबंधक-सह- भंडारी	स्तर -4
29.	हलवाई-सह-रसोईया	स्तर -3
30.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक./लिपिक (कैंटीन)	स्तर -2
31.	स्टॉफ कार ड्राइवर/सहायक हलवाई-सह-रसोईया	स्तर -2
32.	एम.टी.एस	स्तर -1
33.	कैंटीन परिचारक	स्तर -1

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग की स्टॉफ संख्या

समूह - क

क्रम सं	पद का नाम	मु.	उ.क्षे.	म. क्षे.	प. क्षे	पू. क्षे	पूर्वो क्षे.	द. क्षे.	म.प्र. क्षे.	के.क. क्षे.	पश्चि. क्षे.	योग
1.	अध्यक्ष	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
2.	सदस्य	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**02**
3.	सचिव सह परीक्षा नियंत्रक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
4.	निदेशक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
5.	उप सचिव	04	-	-	-	-	-	-	01	-	01	**06**
6.	संयुक्त निदेशक(पू.क्षे)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
7.	संयुक्त निदेशक (अनु(.एवं वि.	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
8.	बजट एवं लेखा अधिकारी	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
9.	क्षेत्रीय निदेशक	-	01	01	01	01	01	01	-	01	-	**07**
10.	उप निदेशक	01	-	04	02	03	02	02	01	01	01	**17**
11.	उप निदेशक (अनु.एवं वि.)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
12.	उप निदेशक (रा.भा.)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
13.	अवर सचिव	17	03	-	-	-	-	-	-	-	-	**20**
14.	उप निदेशक (ईडीपी)	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**02**
15.	व. प्रधान निजी सचिव	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
16.	प्रधान निजी सचिव	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**03**
17.	सहायक निदेशक(रा.भा.)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
	योग	**39**	**04**	**05**	**03**	**04**	**03**	**03**	**02**	**02**	**02**	**67**

समूह 'ख'

क्रम सं	पद का नाम	मु.	उ.क्षे.	म.क्षे.	प. क्षे	पू.क्षे	पूर्वो क्षे.	द.क्षे.	म.प्र. क्षे.	के.क. क्षे.	पश्चि.क्षे.	योग
18.	लेखा अधिकारी	-	01	01	01	01	01	-	-	-	-	**05**
19.	अनुसंधान अधिकारी श्रेणी –II	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
20.	अनुभाग अधिकारी/सहायक निदेशक	29	09	08	06	08	04	04	03	04	03	**78**
21.	निजी सचिव (आशुलिपिक श्रेणी क+ख विलय)	08	01	01	01	01	01	01	01	01	01	**17**
22.	प्रोग्रामर	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
23.	डीपीए श्रेणी ख	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**04**
24.	लेखाकार	01	-	01	01	01	01	01	01	01	01	**09**
25.	सहायक अनुभाग अधिकारी	40	10	09	08	07	03	07	03	05	03	**95**
26.	आशुलिपिक श्रेणी "ग"	09	-	-	01	-	01	01	01	01	01	**15**
27.	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**02**

28.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	01	01	01	01	01	01	01	-	01	-	**08**
29.	अनुसंधान सहायक श्रेणी- I	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**02**
30.	कैंटीन प्रबंधक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
	योग	**99**	**22**	**21**	**19**	**19**	**12**	**15**	**9**	**13**	**9**	**238**

समूह 'ग'

क्रम सं	पद का नाम	मु.	उ.क्षे.	म.क्षे.	प. क्षे	पू.क्षे	पूर्वों क्षे.	द.क्षे.	म.प्र. क्षे.	के.क. क्षे.	पश्चि.क्षे.	योग
31.	अनुसंधान सहायक श्रेणी- II	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03
32.	डीपीए श्रेणी "क"	11	03	-	-	-	-	-	-	-	-	14
33.	पुस्तकालय श्रेणी II	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
34.	डीईओ(श्रेणी "ग")	03	02	-	-	-	-	-	-	-	-	05
35.	डीईओ(श्रेणी "ख")	07	01	-	-	-	-	-	-	-	-	08
36.	केयरटेकर	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
37.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	08	01	01	01	01	01	01	-	01	01	16
38.	आशुलिपिक श्रेणी "घ"	09	01	02	01	02	01	01	01	01	01	20
39.	डीईओ(श्रेणी "क")	09	01	02	03	01	01	02	01	01	01	22
40.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	10
41.	स्टॉफ कार ड्राइवर	03	01	01	01	01	01	01	-	01	-	10
42.	एमटीएस	40	09	09	09	11	05	12	05	07	05	112
43.	सहायक प्रबंधक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
44.	कूपन लिपिक	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
45.	हलवाई-सह-रसोईया	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
46.	सहायक रसोईया	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
47.	कैंटीन परिचारक	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08
	योग	**110**	**20**	**16**	**16**	**17**	**10**	**18**	**08**	**12**	**09**	**236**

समूह/ श्रेणी-वार संस्वीकृत स्टॉफ की संख्या

समूह	मु.	क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय	योग
समूह "क"	39	28	67
समूह "ख"	99	139	238
समूह "ग"	110	126	236
योग	**248**	**293**	**541**

परिशिष्ट –ङ

कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय

क्षेत्र/उप क्षेत्र	स्थापना की तारीख
उत्तरी क्षेत्र (नई दिल्ली)	01.07.1976 (26.09.1979)*
दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नई)	14.11.1977
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	27.12.1977
मध्य क्षेत्र (प्रयागराज)	31.12.1977
पश्चिमी क्षेत्र (मुम्बई)	10.01.1978
मध्य प्रदेश क्षेत्र (रायपुर)	01.01.1980
पूर्वोत्तर क्षेत्र (गुवाहाटी)	07.02.1981
केरल कर्णाटक क्षेत्र (बेंगलूरू)	01.03.1990
पश्चिमोत्तर क्षेत्र (चंड़ीगढ़)	16.11.1996

* 26.09.1979 को पृथक क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया।

परिशिष्ट – ङ (1)

क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय एवं उनके कार्यक्षेत्र

क्षेत्र	क्षेत्रीय मुख्यालय	पता	क्षेत्र में आने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों/ क्षेत्रीय निदेशकों के दूरभाष संख्या
क्षेत्रीय कार्यालय				
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली	कर्मचारी चयन आयोग, उत्तरी क्षेत्र, ब्लॉक संख्या-12 केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	राजस्थान,दिल्ली तथा उत्तराखंड	हेल्पलाईन नं 011-24367526/24363343 011-24360944 (फैक्स)
मध्य क्षेत्र	प्रयागराज	कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय सदन, 34-ए, एम.जी. मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज-211001	बिहार तथा उत्तर प्रदेश	हेल्पलाईन नं 0532-2406000 9452424060 0532 -2970492 (फैक्स)
पूर्वी क्षेत्र	कोलकाता	कर्मचारी चयन आयोग, पूर्वी क्षेत्र,निजाम पैलेस,प्रथम एमएसओ भवन, (8वां तल), 234/4, एजेसी बोस रोड, कोलकाता - 700020	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,सिक्किम, झारखंड और अंडमन और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	033-22902230 033-22904424 (फैक्स) हेल्पलाईन नं 9477461228 9477461229
पूर्वोत्तर क्षेत्र	गुवाहाटी	कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वोत्तर क्षेत्र), हाउस फेड कॉम्प्लेक्स, अंतिम गेट- बशिष्ट रोड, पी. ओ. असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी – 781006.	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोराम, मेघालय, नागालैंड तथा त्रिपुरा	0361-2228929 0361-2224779 (फैक्स) हेल्पलाईन नं 9085015252 9531456804
पश्चिमी क्षेत्र	मुम्बई	कर्मचारी चयन आयोग (पश्चिमी क्षेत्र), प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन (पुरानी सीजीओ बिल्डिंग) 101, एम.के.रोड, मुम्बई - 400020	गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा दादर और नागर हवेली एवं दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र	022-22019118, 22018527, 22018521, 23646033, 22018866, 20821040 हेल्पलाईन नं 9869730700, 7738422705
दक्षिणी क्षेत्र	चेन्नई	कर्मचारी चयन आयोग (दक्षिणी क्षेत्र), इवीके सम्पथ बिल्डिंग, द्वितीय तल, कॉलेज रोड, चेन्नई - 600006	आंध्र प्रदेश , तेलंगाना, तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	हेल्पलाईन नं 044-28251139 9445195946
केरल कर्नाटक क्षेत्र	बेंगलूरू	कर्मचारी चयन आयोग (केरल कर्नाटक क्षेत्र), केन्द्रीय सदन, प्रथम तल, ई-विंग, कोरमंगला, बंगलूरू - 560034	कर्नाटक, केरल तथा लक्ष्यद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	हेल्पलाईन नं 080-25502520 09453862020
उप क्षेत्रीय कार्यालय				
मध्य प्रदेश क्षेत्र	रायपुर	कर्मचारी चयन आयोग(म.प्र. क्षेत्र), पांचवां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग,	मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़	0771-2282678(फैक्स) 0771-2282507

		फेस-II, एल आई सी कॉम्प्लेक्स पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492004.		0771-2960440
पश्चिमोत्तर क्षेत्र	चंड़ीगढ़	कर्मचारी चयन आयोग (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), ब्लॉक सं- 3, भूतल,केन्द्रीय सदन, सैक्टर - 9,चंड़ीगढ़ – 160017	हिमचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	0172-2749378 0172-2742144 (फैक्स) हेल्पलाईन नं 0172-2744366

परिशिष्ट-च.

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक समूह 'ख' चयन पदों की भर्ती

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	विज्ञप्ति के अनुसार रिक्तियां	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या							
		अना.	आ.क.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	भू.पू.सै.*	दिव्यांगजन*	कुल
म.क्षे	29	15	0	2	2	9	0	1	28
पू.क्षे.	27	16	2	0	7	1	0	0	26
क.के.क्षे.	53	10	4	6	0	6	4	0	26
म.प्र. क्षे.	15	5	0	1	1	3	0	0	10
उ. क्षे.	214	88	7	22	8	32	2	6	157
पूर्वो. क्षे.	6	2	0	0	1	1	0	0	4
पश्चिमो. क्षे.	156	83	9	22	10	29	0	4	153
द. क्षे.	34	18	0	4	2	7	3	0	31
प. क्षे.	131	71	6	10	10	32	0	1	129
कुल	**656**	**308**	**28**	**67**	**41**	**120**	**9**	**12**	**564**

* भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को उनकी संबंधित श्रेणियों, यथा- अना., आ.क.व., अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. में शामिल किया गया है|.

परिशिष्ट-च-I

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक समूह 'ग' चयन पदों की भर्ती

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	विज्ञप्ति के अनुसार रिक्तियां	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या							
		अना.	आ.क.व.	अ.जा	अ.ज. जा.	अ.पि. व.	भू.पू.सै.*	दिव्यांग जन *	कुल
म.क्षे	72	32	4	5	2	23	0	0	66
पू.क्षे.	78	40	0	6	0	22	0	1	68
क.के.क्षे.	64	23	4	4	3	15	4	0	49
म.प्र. क्षे.	26	11	2	2	2	2	0	1	19
उ. क्षे.	118	70	1	10	6	25	3	4	112
पूर्वो. क्षे.	20	15	2	1	0	1	0	0	19
पश्चिमो. क्षे.	476	43	11	17	8	28	5	2	107
द. क्षे.	33	19	2	2	2	6	0	1	31
प. क्षे.	64	34	2	7	1	13	0	2	57
कुल	**951**	**287**	**28**	**54**	**24**	**135**	**12**	**11**	**528**

* भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को उनकी संबंधित श्रेणियों, यथा- अना., आ.क.व., ज.जा., ज.ज.जा. और अ.पि.व. में शामिल किया गया है|.

डॉ. जितेन्द्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन) द्वारा अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग को वर्ष 2019-20 के लिए 'राजभाषा शील्ड' प्रदान की गई।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष के दौरान राजभाषा में सर्वाधिक कार्य निष्पादन हेतु राजभाषा शील्ड वर्ष 2019-20 कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली को प्रदान की जाती है।

प्रदीप त्रिपाठी
(प्रदीप कुमार त्रिपाठी)
सचिव (कार्मिक)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.11.2021

राजस्थान सरकार द्वारा गठित समिति का दिनांक 11 मार्च, 2022 को दौरा

कर्मचारी चयन आयोग के सम्मेलन कक्ष में हिंदी दिवस के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह

कर्मचारी चयन आयोग

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

ब्लॉक सं.–12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड़, नई दिल्ली